भारत का विधि आयोग

सत्यमेव जयते

जन संपर्क माध्यमों द्वारा जानकारी के स्त्रोतों के प्रकटन पर तिरानवीं रिपोर्ट

सितम्बर 1983

मूल्य : (देश में) 40.50 रुपये (विदेश में) 4.73 पौण्ड या 14 डालर 58 सेंट्स

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1 :	प्रस्तावना	1
अध्याय 2 :	साक्ष्य देने की विधिक बाध्यता	3
अध्याय 3 :	भारत में साक्ष्य संबंधी विशेषाधिकार और उनका तर्क सम्मत आधार	5
अध्याय 4 :	इंग्लैण्ड की विधि	8
अध्याय 5 :	राष्ट्रमण्डलीय देश	15
अध्याय 6 :	संयुक्त राज्य अमरीका में स्थिति	18
अध्याय 7 :	विचारार्थ मुद्दे	25
अध्याय 8 :	कार्यपत्र पर प्राप्त टिप्पणियां	28
अध्याय 9 :	सिफारिशें	32

—26 LAD/ND/84

सं० एफ 2(2)/83-वि०आ०

न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू

अध्यक्ष,
विधि आयोग,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

9 सितंबर, 1983

प्रिय मंत्री जी,

मैं "जनसंपर्क माध्यम द्वारा जानकारी के स्त्रोतों का प्रकटन" पर विधि आयोग की तिरानवीं रिपोर्ट भेज रहा हूं ।

2. विधि आयोग ने स्वयं ही इस विषय पर कार्य आरंभ किया था । इस विषय पर कार्य करने की आवश्यकता को रिपोर्ट के अध्याय 1 में स्पष्ट किया गया है ।

3. आयोग, रिपोर्ट तैयार करने में श्री पी० एम० बख्शी, अंशकालिक सदस्य और श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य-सचिव के बहुमूल्य सहयोग के लिए आभारी हूं ।

सादर,

भवदीय,
ह०/-
(के० के० मैथ्यू)

श्री जगन्नाथ कौशल,
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री
नई दिल्ली ।

संलग्न : 93वीं रिपोर्ट ।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1. इस रिपोर्ट में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या किसी पत्रकार या अन्य व्यक्ति को जो जनसंपर्क माध्यम के रूप में किसी प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, उसके द्वारा अपनी वृत्ति के प्रयोजन के लिए विश्वास के आधार पर अर्जित जानकारी के स्रोत प्रकट करने के लिए किसी न्यायालय में विवश किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जिस प्रश्न पर विचार किया जाएगा उसका यह व्यापक रूप है। इससे जुड़े हुए अनेक गौण मुद्दे भी हैं और उन पर भी इस रिपोर्ट में विचार किया जाएगा। यह प्रश्न साक्ष्य विधि से संबंधित है किन्तु इस पर विचार करने के लिए विधि के अनेक अन्य क्षेत्रों की समीक्षा भी आवश्यक है। वर्तमान विचारधारा के संदर्भ में इस प्रश्न के महत्व और इसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए भारत के विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस पर विचार आरंभ किया है। प्रविषय और उत्पत्ति।

1.2. काफी समय से इस संबंध में वादविवाद चल रहा है कि क्या पत्रकारों[1] को अपनी जानकारी के स्रोत को न्यायालय में प्रकट करने से इंकार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस विषय पर वर्तमान स्थिति (जो आगे की जाने वाली चर्चा से स्पष्ट हो जाएगी)[2], के अनुसार पत्रकारों को उपलब्ध ऐसे किसी विशेषाधिकार को भारतीय विधि में कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। विधि में स्थिति।

अधिकतर देशों में प्रचलित वृत्तिक आचार संहिता में यह अपेक्षा की जाती है कि पत्रकार उस बात को प्रकट न करें जो वे विश्वास के आधार पर प्राप्त करते हैं। किन्तु वृत्तिक आचरण के इस नियम को भारत के न्यायालयों में या कानूनी उपबंधों में अभी तक मान्यता नहीं मिली है।

1.3. इस विषय पर विधि में सुधार का औचित्य मुख्य रूप से उन परिस्थितियों से जिनमें और उन शर्तों से जिन पर पत्रकार द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, व्युत्पन्न करने का आशय है। सामान्यत: जब कोई पत्रकार अपने द्वारा वृत्तिक रूप से प्राप्त जानकारी का उपयोग करना चाहता है तब आमतौर पर वह स्रोत का नाम बता कर उसे श्रेय देता है और उस स्रोत की पहचान के बारे में ऐसे संकेत भी देता है जो वक्ता की जानकारी की विधिमान्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक हों। इस साधारण स्थिति के कुछ अपवाद हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन में कुछ वर्ष पूर्व, निम्नलिखित स्थिति बताई गई थी।[3] पत्रकारिक परिपाटी।

बहुत कम रिपोर्टें ऐसी प्रकाशित होती हैं जिनमें स्रोत के बारे में कोई विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं होता है। इस दृष्टि से कि पाठक इस बात का उचित निर्णय कर सके कि किसी विशिष्ट कथन को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह परम आवश्यक बात समझी जाती है। किन्तु इसके कुछ अपवाद भी हैं जो विरले किन्तु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे समय और ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब और जिनमें जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति यह चाहे कि उस कथन के स्रोत के रूप में उसका नाम प्रकट न किया जाए। ऐसे पत्रकार को जिसने स्वयं को एक विश्वसनीय संवाददाता के रूप में जो अपने कार्य के प्रति यथार्थ और उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है; स्थापित कर लिया है, "स्त्रोत" (जानकारी देने वाला व्यक्ति (कुछ जानकारी इस विश्वास पर देने को इच्छुक हो सकता है) कि यह न बताया जाए कि वह उससे प्राप्त हुई है।

जानकारी देने वाले व्यक्ति के पास (जैसा कि उपर्युक्त अध्ययन में स्पष्ट किया गया है) गुमनाम रहने के लिए अच्छे कारण हो सकते हैं। ऐसा कारण व्यक्तिगत किन्तु सर्वथा समझ में आने वाला और न्यायोचित हो सकता है। ऐसा कोई कारण भी हो सकता है जिसका सीधा संबंध जन कल्याण से हो।

---

1. "पत्रकार" पद का प्रयोग संक्षिप्ति के प्रयोजन के लिए किया गया है। ऐसे अन्य व्यक्तियों की भी जो किसी प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, स्थिति समान होगी।

2. आगामी पैरा 2.3 और 3.2।

3. इन्टरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, सर्वेक्षण सं० 6, वृत्तिक गोपनीयता और पत्रकार (आरनो प्रेस) (1972)।

यदि स्रोत वस्तुतः गुमनाम रहना चाहता है और यदि पत्रकार यह समझता है कि वह जानक
है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए तो वह प्रत्यक्षतः यह बताए बिना कि वह किसी विशि
से प्राप्त हुई हैं, उसका उपयोग करेगा ।

विचार के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या विधि को चाहिए कि वह पत्रकारों द्वारा व
इस परिपाटी को मान्यता प्रदान करे और उसे एक ऐसे विशेषाधिकार के रूप में सम्मिलित करे
दावा कोई पत्रकार उस समय कर सके जब कि किसी न्यायालय (अथवा किसी साक्षी को अ
देने के लिए विवश करने की विधिक शक्ति रखने वाले अन्य प्राधिकरण) के समक्ष उससे स्रो
की मांग की जाए ।

सुधार का प्रस्ताव ।

1.4. इस संबंध में वर्तमान स्थिति, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है,[1] यह है
कोई विशेषाधिकार उन देशों के सिवाय कहीं नहीं है जहां यह कानून द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्र
गया है। कुछ देशों में स्थिति में परिवर्तन किया गया है; यद्यपि भारत में ऐसी कोई बात नहीं
उन देशों में भी जहां ऐसे सुधार का प्रस्ताव हुआ है, इस दिशा में विधान बनाने का कार्य मन्द ही
इंगलैण्ड के अपील न्यायालय के समक्ष आए एक मामले में[2] लार्ड जस्टिस स्कारमैन ने (जिस र
उस समय थे), सम्मन के अधीन एक अप्रकाशित टेलीविजन चलचित्र के पेश कराए जाने के लिए
के संदर्भ में यह कहा था कि "प्रेस और प्रसारण प्राधिकारियों को तंग करने वाले आवेदनों के वि
संरक्षण विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं किन्तु यह विवादास्पद है कि और अधिक संरक्षण आवश
उनका विचार था कि यह विधि सुधार की एक समस्या है। तथापि, कुछ समय पूर्व तक इंग्लैण्
कोई सुधार नहीं किया गया था ।[3] वस्तुतः यह उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक पत्रकार
जिसने एक न्यायाधीश द्वारा यह आदेश दिए जाने पर कि वह अपनी जानकारी का स्रोत, बत
करने से इंकार किया था, न्यायालय अवमान के लिए वाद चलाया गया था। सौभाग्यवश इ
में यह पाया गया कि उस प्रश्न का उत्तर न्यायालय के समक्ष वाले विवाद्यक के लिए न तो सुसंगत
न आवश्यक । अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह पत्रकार दोषी नहीं था[4] ।

साक्ष्य अधिनियम पर रिपोर्ट ।

1.5. प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि विधि आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट में भारती
अधिनियम, 1872 की, जिसमें भारत में साक्ष्य की विधि संहिताबद्ध है, समीक्षा की है[5] ।
समय जो विशिष्ट प्रश्न विचाराधीन है वह उस समय आयोग के समक्ष नहीं आया था ।

विचार-विमर्श की योजना ।

1.6. इस रिपोर्ट में, सर्व प्रथम, इस विषय पर भारत में विद्यमान विधि की और उसके
चुने हुए देशों में विद्यमान स्थिति की चर्चा करने का प्रस्ताव है। तत्पश्चात् वे मुद्दे तैयार कि
जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और फिर हम विधि में संशोधन के लिए अपनी ठोस
रिशें प्रस्तुत करेंगे ।

---

1. पूर्वगामी पैरा 1.2 ।
2. इंगलैण्ड की वर्तमान विधि के लिए आगामी अध्याय 4 देखिए ।
3. सीनियर बनाम होल्डसवर्थ (1975) 2 आल इं० रि० 1009, 1022 ।
4. ए० जी० बनाम क्लूमिन, द टाइम्स, 20 फरवरी, 1982 ।
5. भारत का विधि आयोग, 69वीं रिपोर्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872) ।

अध्याय 2

साक्ष्य देने की विधिक बाध्यता

साधारण स्थिति ।

2.1. अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि सुसंगत तथ्यों के संबंध में न्यायालय में साक्ष्य देने की एक सामान्य विधिक बाध्यता सभी व्यक्तियों के लिए है। न्याय प्रशासन के लिए इस बाध्यता को परम आवश्यक माना गया है[1]। इस बाध्यता के साथ, सुसंगत तथ्यों के बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता जुड़ी हुई है। ऐसी बाध्यता के बिना न्यायिक जांच सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो सकती है।

अपवाद ।

2.2. अधिकतर कामन ला देशों में इस सामान्य बाध्यता के (अर्थात् साक्ष्य देने और सभी सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता) के कुछ अपवाद, लोकनीति के आधार पर, सृजित किए गए हैं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि ये अपवाद संकीर्ण रूप में तैयार किए गए हैं और नए अपवाद सृजित करने में कामन ला ने कड़ाई से काम लिया है।

भारतीय विधि ।

2.3. जैसा कि अधिकतर कामन ला देशों में है, भारतीय विधि पद्धति में भी यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सभी प्रश्नों का जो न्यायालय द्वारा सुसंगत अभिनिर्धारित किए गए हैं, उत्तर देने के लिए तब तक आबद्ध है जब तक कि लोकनीति के आधार पर छूट प्रदान करने वाला कोई विनिर्दिष्ट विधिक उपबंध लागू न होता हो।

विधि में विशेषाधिकार।

2.4. वर्तमान प्रयोजन के लिए इन सभी अपवादों को गिनाना या साक्ष्य संबंधी मान्यताप्राप्त विशेषाधिकारों की सूची तैयार करना आवश्यक नहीं है। तत्काल विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या ऐसे विशेषाधिकारों की सूची में उस जानकारी के स्रोत का प्रकटन भी जोड़ा जाना चाहिए जो किसी पत्रकार ने विश्वास के आधार पर प्राप्त की है। इस संदर्भ में, आरंभ में ही यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि कारबार और व्यक्तिगत संबंधों में विश्वासघात अनुयोज्य हो सकता है (अथवा कुछ मामलों में तो वह आपराधिक रूप में दण्डनीय हो सकता है) किन्तु अधिकतर कामन ला देशों ने अभी तक यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया है कि विश्वास का संरक्षण स्वयमेव, संबंधित विषयों का साक्ष्य देने की बाध्यता से छूट देने का आधार हो सकता है। जब कभी साक्ष्य विधि के क्षेत्र में, किसी गोपनीय जानकारी के संबंध में किसी विशेषाधिकार को मान्यता दी गई है, विधि ने साधारणतया इस बात का आग्रह किया है कि कुछ और ऐसे तत्व भी होने चाहिएं जिनसे किसी साक्ष्य संबंधी विशेषाधिकार की मान्यता न्यायोचित ठहराई जा सके[2]।

प्रत्येक व्यक्ति के साक्ष्य के लिए जनता का अधिकार।

2.5. पारम्परिक रूप से, विधि में स्थिति यह रही है[3] कि जनता को प्रत्येक व्यक्ति के साक्ष्य का अधिकार है। स्पष्ट है कि इसके प्रतिकूल नियम से व्यवस्थित विधिक प्रक्रिया विफल और व्यर्थ हो जाएगी। समाज के हित में यह आवश्यक है कि उन मुद्दों को जिनके बारे में मुकदमेबाजी चल रही है या जिनका अन्वेषण किया जा रहा है, सुलझाने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति से सुसंगत तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाए। कदाचित इस सिद्धांत के बारे में विवक्षित रूप से यह माना जाता है कि यह निष्पक्ष विचारण का एक आधारतत्व है।

जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त किया है[4], यह एक पुराना सिद्धांत है कि ग्रैण्ड जूरी को प्रत्येक व्यक्ति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है "किन्तु वह साक्ष्य इस का अपवाद है जो किसी संविधान, कामन ला या क़ानूनी विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित है।" इंग्लैण्ड में सन 1612 में लार्ड बेकन ने घोषित किया था[5] कि "सभी प्रजाजन, चाहे उनकी प्रास्थिति कुछ भी हो, राजा को न केवल अपने कार्य और हाथ का अपितु अपने ज्ञान और खोज का नजराना और सेवा प्रदान करने के देनदार हैं।" अतः प्रत्येक नागरिक का राजा के प्रति यह अविरत कर्तव्य है कि वह अपनी सभी जानकारी जिसके अंतर्गत उसके स्रोत भी हैं, उन्हें प्रकट करे। विधि इस सामान्य सिद्धान्त का, लोकहित

---

1. इसके अतिरिक्त आगामी पैरा 2.5 भी देखिए।
2. आगामी अध्याय 3 भी देखिए।
3. भारत का विधि आयोग, 69वीं रिपोर्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872), पृष्ठ 627।
4. ब्रैन्सबर्ग बनाम हेज (1972) 33 एल० एड० 626।
5. काउन्टेस आफ श्रिउसबरी का मामला (1613) 12 कोक 94, 2 हो० स्टे० ट्रि० 769, 778।

में एक अपवाद उस स्थिति में सृजित करती है जब कभी वह साक्ष्य के क्षेत्र में कोई विशेषा
प्रदान करती है ।

इंग्लैण्ड में इस विधि का इतिहास ।

2.6. ऐतिहासिक रूप से, साक्ष्य देने की विधिक बाध्यता काफी प्राचीन है । इंग्लण्ड में ए
बेथ के ऐक्ट 5, अध्याय 9, धारा 12 द्वारा किसी भी अभिलेख न्यायालय द्वारा ऐसी आदेशिका की त
का उपबंध किया गया था जिसमें उस व्यक्ति से जिस पर उसकी तामील की जाए, यह अपेक्ष
जाए कि वह न्यायालय में लम्बित किसी वाद या मामले के संबंध में अभिसाक्ष्य दे और यदि वह
नहीं करेगा तो नुकसानी के अलावा उसे 10 पौंड का जुर्माना देना होगा जो व्यथित पक्षकार
वसूल किया जाएगा[1] ।

यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रैण्ड जूरी ने पहली बार साक्षियों के लिए अनिवार्य आदेशिका का
कब लिया[2] । किन्तु सन् 1612 तक, साक्ष्य देने की बाध्यता को मान्यता मिल चुकी थी । ऐक्ट 7
8 विलियम III, अध्याय 3, धारा 7 (1695) द्वारा देशद्रोह अथवा देशद्रोह संगोपन के लिए अभ्या
व्यक्तियों को उनके साक्षी को उपस्थित होने के लिए विवश करने की उसी प्रकार की आदेशिका
की जाती थी जैसी कि उनके विरुद्ध साक्षियों को विवश करने के लिए प्राय: जारी की जाती थी ।
यह स्पष्ट है कि क्राउन साक्षियों के लिए आदेशिकाएं पहले से ही प्रयोग में थीं[2] ।

अत: साक्ष्य देने की सामान्य बाध्यता को कामन ला पद्धतियों में भली प्रकार मान्यता प्रा

भारत में स्थिति सामान्य बाध्यता ।

2.7. मोटे तौर पर यही स्थिति भारत में भी है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन
विशेष मामलों को छोड़कर जिनमें विधि संरक्षण प्रदान करती हैं, न्यायालय में साक्ष्य देने और ऐसे
प्रश्नों का जो न्यायालय द्वारा सुसंगत अभिनिर्धारित किए गए हैं, उत्तर देने की सामान्य बाध्यत
व्यक्तियों पर लागू होती है ।

विशेषाधिकार सृजित करने के लिए लोक नीति के प्रश्न ।

2.8. निस्सन्देह, लोक नीति के प्रश्नों के कारण कतिपय विशेष स्थितियों में उपलब्ध कुछ वि
धिकार उत्पन्न हुए हैं[3] । विधि की दृष्टि में, विशेषाधिकार एक उन्मुक्ति या छूट हैं जो किसी स
अधिकार के अल्पीकरण में, किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्ति को विशेष अनुदान द्वारा प्रदत्त की जात
आम तौर पर कोई भी विशेषाधिकार या निर्योग्यता, विधि द्वारा लोक नीति के किसी प्रश्न के आध
सृजित की जाती है । विधि कुछ प्रकार के साक्ष्य को लोक नीति के आधार पर अपवर्जित करत
उसकी आवश्यकता को समाप्त करती है क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसे साक्ष्य के लिए जाने की
करने या उसकी अनुमति दिए जाने से जो रिष्टि (हानि) होगी वह उसकी बाबत किसी विशेषा
के अनुदान या निर्योग्यता के सृजन के फलस्वरूप होने वाली हानि से कहीं अधिक होगी । जहां वि
धिकार दिया जाता है वहां वह इस मान्यता पर आधारित होता है कि समुचित परिस्थितियों में
को विशिष्ट नातेदारी के संरक्षण से होने वाला फायदा उस हानि की अपेक्षा कहीं अधिक होता
न्याय प्रशासन को ऐसे विशषाधिकारों द्वारा कारित हो सकने वाली अड़चनों से होती है ।

इस तर्क के आधार के बारे में विगमूर का कथन ।

2.9. इस विषय में विद्वान के बीच काफी चर्चा रही है कि किसी विशेषाधिकार को किन स्थि
में मान्यता दी जानी चाहिए । विगमूर के अनुसार साक्ष्य विधि में, स्रोत प्रकट करने के विरुद्ध वि
धिकार को अधिनियमित करने से पूर्व चार शर्तें पूरी होनी चाहिए । इस संबंध में उसका कथ
आदर्श कथन हो गया है । ये शर्तें निम्नलिखित हैं[5] :

(1) संसूचना की उत्पत्ति इस विश्वास में हुई हो कि बताए गए तथ्य प्रकट नहीं किए ज
(2) पक्षकारों के बीच संबंध को पूरी तरह से और संतोषप्रद रूप से बनाए रखने के लि
नीयता का यह तत्त्व परम आवश्यक होना चाहिए ।
(3) संबंध ऐसा होना चाहिए जो समाज की राय में, श्रम के साथ संजोए रखा जाना च
(4) संसूचना के प्रकट किए जाने से इस सम्बन्ध को होने वाली क्षति उस फायदे से अधि
चाहिए जो मुकदमें के सही निपटारे के लिए, उसके प्रगट किए जाने से होगा ।

---

1. देखिए हेविषबरी बनाम हार्वे, क्रा० एलिजा० पार्ट 1, पृ० 131, 78 इंग० रिपो० 114; गुडविन बनाम वे
कार० 522, 540, 70 इंग० रिपो० 1052–1066 (मार्च 18, 164) ।
2. ब्लेयर बनाम यू० एस० (1918) 63 एल० एडि० 979, 982 ।
3. आगामी अध्याय 3 ।
4. वैबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी (1955) पृष्ठ 1160 ।
5. 8 विगमूर, एविडेन्स (मकनाटन एडिशन 1961) पैरा 2285 ।

भारत में साक्ष्य सम्बन्धी विशेषाधिकार और उनका तर्क सम्मत आधार

सामान्य नियम के अपवाद ।

3.1. इस सामान्य नियम के कि प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है जो न्यायालय द्वारा उन विषयों के जिनकी जांच की जा रही है, संगत अभिनिर्धारित किए जाएं, कुछ अपवाद विधि द्वारा उपबंधित किए गए हैं । प्रथमतः स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध एक संवैधानिक विशेषाधिकार है[1] और वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग लगाया गया है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

द्वितीयतः, साक्ष्य अधिनियम के अधीन[2] कुछ विषयों को न्यायालय में प्रकटन के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त है । इस विषय से संबंधित उपबंध विस्तृत हैं । साक्ष्य अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट[3] से उद्धरण देना सुविधाजनक होगा । उस रिपोर्ट में, ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त विषयों का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित रूप में किया गया है :—

"(1) न्यायाधीशों की न्यायिक हैसियत में उनके आचरण से संबंधित अथवा न्यायाधीशों की जानकारी में आने वाले विषय आदि (धारा 121);

(2) विवाहित स्थिति के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को दी गई संसूचनाएं (धारा 122);

(3) राज्य की गोपनीय बातें (धाराएं 123-124);

(4) विधि सलाहकार और मुवक्किल के बीच की संसूचनाएं (धाराएं 126 और 129);

(5) कतिपय हक दस्तावेजें (धाराएं 129, 131); और

(6) अपराध में फंसाने वाले कुछ विषय (धारा 132) ।"

भारतीय विधि में पत्रकारिता संबंधी विशेषाधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय पर कोई प्रकाशित भारतीय विनिश्चय उपलब्ध नहीं है फिर भी यह बात पर्याप्त रूप से स्थापित हो चुकी है और इसका प्रमाण विगत काल में भारत में घटित कम से कम दो घटनाओं से मिलता है जिनमें पत्रकारों ने अपने संवाददाताओं या लेखकों के नाम प्रकट करने की बजाए न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड को भोगना पसंद किया था ।[4] एक मामले में हितवादी के सम्पादक काली प्रसन्न काव्य विशारद ने यह बताने से इंकार कर दिया था कि उनके पत्र में प्रकाशित उस कविता का रचयिता कौन था जिसके लिए उन पर अपमान लेख का अभियोग लगाया गया था । न्यायालय में उसकी पाण्डुलिपि पेश की गई थी किन्तु उसमें से वह हिस्सा फटा हुआ था जिसमें रचयिता का नाम लिखा था । उन्हें नौ मास के कारावास का दण्ड दिया गया था[5] ।

एक अन्य मामले में बिपिन चन्द्र पाल को छह मास के कारावास का दण्ड इसलिए दिया गया था कि उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया था की उस लेख का लेखक कौन था जिसके लिए अरविन्द घोष पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था । बाद में अरविन्द घोष दोषमुक्त कर दिए गए थे । उपर्युक्त तथ्य के बारे में अभिसाक्ष्य देने से इन्कार करने के कारण पाल को छह मास के कारावास का दण्ड दिया गया था[5] ।

---

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 20 (3) ।
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 121 से धारा 132 तक।
3. भारत का विधि आयोग, 69वीं रिपोर्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) पृष्ठ 630, पैरा 62.13 ।
4. नोट, "जर्नलिस्टिक प्रिविलेज" (1963) जिल्द 1, सं० 9 सुप्रीम कोर्ट अपील्स ।
5. सम्पादकीय, "जर्नलिस्ट्स एंड देयर सोर्सेज" (31 मार्च, 1980), जिल्द 84, सी० डब्ल्यू० एन० 85-87।

26 LAD/ND/84

संयोजक सूत्र ।

3.2. विधि आयोग की साक्ष्य अधिनियम पर रिपोर्ट में[1], साक्ष्य संबंधी विभिन्न विशेषाधिकारों का औचित्य इस प्रकार बताया गया था :—

"साक्ष्य विधि ने जिन विशेषाधिकारों को मान्यता प्रदान की है उनकी अन्तर्वस्तु भिन्न-भिन्न है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एक संयोजक सूत्र उनको आपस में जोड़ता है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण—लोक कल्याण—में एक अन्य तत्व जोड़ा जा सकता है अर्थात् यह कि विधि द्वारा मान्य यदि सभी नहीं तो अधिकतर विशेषाधिकारों की आवश्यकता संबंध विशेष के उचित रूप से कार्य करते रहने के लिए है। यह संबंध विभिन्न किस्मों के हो सकते हैं। वह घरेलू हो सकता है जैसे कि पति और पत्नी या वृत्तिक हो सकता है—अटर्नी और मुवक्किल अथवा वह इससे अधिक व्यापक हो सकता है, उदाहरणार्थ, कुछ जानकारी का सरकार द्वारा अपने पास रोक रखना या फिर वह संबंधित व्यक्ति की विशिष्ट हैसियत में निहित हो सकता है, उदाहरणार्थ, धारा 121 के अधीन विशेषाधिकार प्राप्त न्यायाधीश। विधि की यह धारणा है कि प्रश्नगत कार्य का उचित रूप से किया जाना अथवा प्रश्नगत संबंध को उचित रूप से बनाए रखना, कुछ ऐसे विषयों के जो उस कार्य या संबंध के लिए परमावश्यक समझे जाते हैं, बारे में साक्ष्यिक विशेषाधिकार के अनुदान को उचित ठहराता है। यही धारणा इन विशेषाधिकारों का आधार है।"

कैलीफोर्निया एविडेन्स कोड में वर्णित औचित्य।

3.3. विभिन्न विशेषाधिकारों में निहित समान सूत्र को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से विधि आयोग की उपर्युक्त रिपोर्ट में[2] कैलीफोर्निया एविडेन्स कोड के प्रति निर्देश किया था। उस कोड की धारा 910 "सभी कार्यवाहियों" को विशेषाधिकार लागू करती है[3]। कैलीफोर्निया एविडेन्स ऐक्ट की उस धारा में निम्नलिखित स्पष्टीकारक टिप्पण है जो साक्ष्यिक विशेषाधिकारों के औचित्य को समझने के लिए सहायक हो सकता है। इस टिप्पण का मुख्य आशय विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से लागू करने (अर्थात् प्रशासनिक अधिकरणों को भी उनके लागू किए जाने) को उचित ठहराना था किन्तु उसमें कही गई बातें हमारे प्रयोजन के लिए भी उपयोगी हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट में से उसका उद्धरण इस प्रकार है :—

"साक्ष्य के अधिकतर नियम न्यायालयों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। साधारणतया उनका प्रयोजन अविश्वसनीय या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले साक्ष्य के उस व्यक्ति के समक्ष पेश किए जाने को रोकना है जो तथ्य का विचारण कर रहा है। विशेषाधिकार, नीति के कारणों से अनुदान किए जाते हैं और इन कारणों का अंतर्वलित जानकारी की विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं होता है। कोई भी विशेषाधिकार इसलिए अनुदान किया जाता है कि किसी लम्बित कार्यवाही में विवाद्यक से सुसंगत सभी जानकारी के प्रकट किए जाने की अपेक्षा करने की बजाय कुछ जानकारी को गोपनीय रखना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है।"

"उदाहरणार्थ, अटर्नी-मुवक्किल संबंध की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उस संबंध के दौरान दी गई गोपनीय संसूचनाओं के प्रकटीकरण को रोका जाए। यदि गोपनीयता की प्रभावकारी सुरक्षा किसी विशेषाधिकार द्वारा की जानी है तो उस विशेषाधिकार को न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न कार्यवाही में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। यदि न्यायालय एकमात्र वह स्थान हो जहां विशेषाधिकार का सहारा लिया जा सकता हो तो इस विशेषाधिकार द्वारा मिलने वाला संरक्षण अपर्याप्त होगा।"[4]

पत्रकारों के विशेषाधिकार का मर्म।

3.4. उपर्युक्त सामग्री विधि आयोग की साक्ष्य अधिनियम पर रिपोर्ट में से उद्धृत की गई है क्योंकि यह विचाराधीन विषय के केन्द्र बिन्दु पर प्रकाश डालती है और इसमें साक्ष्यिक विशेषाधिकार के औचित्य के मर्म की सीधी चर्चा की गई है। इस दृष्टि से यह उस विनिर्दिष्ट प्रश्न से जिस पर अब विचार किया जाना है बहुत सुसंगत ही नहीं है बल्कि उसे उसके लिए लगभग बुनियादी माना जा सकता है।

1. भारत का विधि आयोग, 69वीं रिपोर्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872), पृष्ठ 628, पैरा 62.5।
2. भारत का विधि आयोग, 69वीं रिपोर्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872) पृष्ठ 628, पैरा 62.6।
3. धारा 910, कैलीफोर्निया एविडेन्स कोड।
4. धारा 910, कैलीफोर्निया एविडेन्स कोड, स्पष्टीकारक टिप्पण, जो भारत के विधि आयोग की 69वीं रिपोर्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872), पृष्ठ 628, पैरा 62.6 में उद्धृत है।

भारत में पत्रकारों के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं।

3.5. जैसा कि भारतीय विधि के अधीन विशेषाधिकार के संबंध में ऊपर बताई गई स्थिति से स्पष्ट हो गया होगा[1], भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पत्रकार को उसके द्वारा विश्वास के आधार पर प्राप्त जानकारी का स्रोत प्रकट करने से इन्कार करने के किसी विशेषाधिकार को मान्यता नहीं दी गई है।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में उपबंध।

3.6. तथापि, प्रेस परिषद् अधिनियम के अधीन प्रेस परिषद् द्वारा की गई जांचों के संबंध में उस अधिनियम द्वारा किया गया उपबंध उल्लेखनीय है। जब कि विधि के साधारण दृष्टिकोण के अनुसार उस अधिनियम की धारा 15(1) प्रेस परिषद् के समक्ष साक्ष्य देने की विधिक बाध्यता अधिरोपित करती है, उसी धारा की उपधारा (2) पत्रकारों को एक संरक्षण प्रदान करती है जो इस प्रकार है[2] :—

प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 15(2)

"15(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को उस समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार द्वारा प्राप्त या रिपोर्ट किए गए किसी समाचार या सूचना का स्रोत प्रकट करने के लिए विवश करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

अब हम विचाराधीन विषय पर अन्यत्र विद्यमान स्थिति की संक्षेप में चर्चा करेंगे।

---

1. पूर्वगामी पैरा 3.1 ।
2. धारा 15(2), प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) ।

अध्याय 4

I. इंग्लैण्ड की विधि

पत्रकारिक आचार संहिता और विधिक स्थिति ।

4.1. इंग्लैण्ड के शास्त्रीय और वृत्तिक साहित्य में समाचार और विधि को सुभिन्न रूप में रखा है । इंग्लैण्ड में पत्रकारिक सदाचार का एक मूलभूत नियम यह है कि पत्रकार अपनी जानका स्रोत प्रकट नहीं करता है । जानकारी देने वाले अनेक व्यक्ति उस दशा में उपलब्ध नहीं रहेंगे ज उन्हें इस बात का विश्वास न हो कि उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा[1] ।

कामन ला नियम ।

4.2. किन्तु कामन ला के साक्ष्य नियमों में पत्रकारों को कोई विशेषाधिकार (अर्थात् सा कुछ प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का अधिकार) नहीं दिया गया था । जैसा कि लार्ड डे कहा है, वृत्तिक नियम को विधिक नियम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है[2] । यह बात इंग्लैण्ड के 1 में निर्णीत एक मामले में स्पष्ट रूप से अभिकथित की गई थी । उसमें यह अभिनिर्धारित किया था कि ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है । उस मामले में दो पत्रकारों को वासल गुप्तचर मामले में करने वाले अधिकरण के समक्ष अपने जानकारी के स्रोत बताने से इंकार करने के कारण कार का दंड दिया गया था[2] । उसी वर्ष एक अन्य मामले में, एक तीसरे पत्रकार को अपनी जानका स्रोत प्रकट करने से इसी प्रकार इंकार करने के कारण दण्डित किया गया था किन्तु जब वह जिसने उसे जानकारी दी थी, सामने आ गया तो वह पत्रकार उस दंड को भोगने से बच गया[3] ।

सन् 1975 में डेली रेकार्ड के गार्डन एयर्स को "टारटन आर्मी" विचारण में एक साक्षी के बुलाए जाने पर, जानकारी देने वाले एक व्यक्ति को पहचानने से इंकार करने के कारण 500 प जुर्माने का दंड दिया गया था[4]।

स्रोत प्रकट करने की मांग करने की शक्ति ।

4.3. किसी भी पत्रकार से न्यायालयों, जांच अधिकरणों या संसद् के किसी सदन की समि समक्ष अपने स्रोतों को पहचानने की अपेक्षा की जा सकती है । अलीधन वाले मामले में, ई न्यूज के सम्पादक को यह बताने से इंकार करने के कारण कि कौन संसद् सदस्य उसके समाचार राजनीतिक स्तम्भ लिखता रहा है, न्यायालय के अवमान के लिए दोषी ठहराया गया था किन्तु उसके विरुद्ध और न डली मेल के गार्डन ग्रेग के विरुद्ध उस समय जब उसने समिति के समक्ष अपना बताने से इंकार किया था, कोई कार्रवाई की गई थी ।

न्यायिक रूप ।

4.4. इंग्लैण्ड के कुछ न्यायालय इस विषय पर अधिकार वादी रुख अपनाते थे । उदाहर लिए, लार्ड एमसाइल ने गार्डन एयर्स (डेली टैलीग्राफ) से संबंधित मामले में कहा था कि :

> "ऐसे किसी भी साक्षी को, जिसमें पत्रकार साक्षी भी सम्मिलित है, जो न्यायालय में किसी और सुसंगत प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, यह समझ लेना चाहिए कि वह अवमा दोषी होगा और उसे कड़ा दण्ड दिया जा सकेगा ।"[5]

सन 1963 में निर्णीत, इंग्लैण्ड के एक मामले में[3] लार्ड पार्कर ने पत्रकार से कहा था कि "रा हित में कुछ ऐसी आपात स्थितियां होनी चाहिए जिनमें व्यक्तिगत हित, वृत्तिक हित तथा अन्य सभी राज्य के हित के अधीनस्थ होने चाहिएं । आपके जानकारी देने वाले का भी यह कर्तव्य है कि वह

---

1. एन्थोनी रिचर्ड्स, ला फार जर्नेलिस्टस (1977) पृष्ठ 82 ।
2. अटर्नी जनरल बनाम मलहालैंड एण्ड फास्टर (1963) 1 आल इंग्लैंड रिपोर्टर 767 ।
3. अटर्नी जनरल बनाम क्लाड (1963) 1 आल इं० रि० 420 ।
4. एन्थोनी रिचर्ड्स ला फार जर्नेलिस्टस (1977), पृष्ठ 82—आगामी पैरा 4.4 भी देखिए ।
5. एन्थोनी रिचर्ड्स, ला फार जर्नेलिस्टस (1977) पृष्ठ 82 राबिन कलैण्डर प्रेस ला (1978) पृष्ठ 127 भी

आकर राज्य के हितों में सहायक बने। आप वह कैसे कह सकते हैं कि यदि आप राज्य-हित को सर्वोपरि रखने के लिए एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उससे आप पर कोई कलंक लगता है ?''

4.5. इंग्लैण्ड में ऐसे कानूनी उपबंध भी प्रवृत्त हैं जिनमें कतिपय जानकारी के प्रकट किए जाने की विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा की गई है। इनमें से एक है आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1920[1] जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध है : आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1920।

"प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह मांग की जाने पर पुलिस के किसी मुख्य अधिकारी को या पुलिस के किसी अधीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जो मुख्य अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो.......... (आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1911) के अधीन किसी अपराध या संदिग्ध अपराध के संबंध मे कोई जानकारी दे जो उसकी शक्ति में हो..........................और यदि ऐसी जानकारी देने में असफल रहता है...................तो वह अपराध का दोषी होगा।''

1938 में अर्नेस्ट लविस ने, जो डेली टैलीग्राफ में एक पत्रकार था, एक व्यक्ति के बारे में, जिसकी तलाश थी, एक समाचार लिखा था। इसके लिए जानकारी किसी पुलिस अधिकारी से ही मिल सकती थी और पुलिस यह जानना चाहती थी कि वह कौन अधिकारी है। लविस ने यह बताने से इंकार कर दिया था कि वह कौन अधिकारी है। मैजिस्ट्रेट ने उसे आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट के अधीन दोषसिद्ध किया था। उसकी अपील को खारिज करते हुए लार्ड चीफ जस्टिस ने कहा था कि वह मामला "बिल्कुल साफ है और उसमें बहस को कोई आवश्यकता नहीं है।''[2]

II. न्यायिक रूल्स

4.6. इंग्लैण्ड में कतिपय गोपनीय वृत्तिक संबंधों के संरक्षण के लिए यदाकदा न्यायिक चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। यद्यपि पत्रकारों द्वारा प्रकटन के विरुद्ध कोई विधिक विशेषाधिकार नहीं था तथापि इंग्लैण्ड में ऐसे न्यायिक निर्णय हुए हैं जिनमें सत्य के प्रकटन में लोक हित और वृत्तिक विश्वास को बनाए रखने में लोकहित के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वृत्तिक संबंध और उनका संरक्षण।

4.7. इस संदर्भ में 1963 के इंग्लैण्ड के दो मामले पुनः उल्लेखनीय हैं। **अटर्नी जनरल बनाम क्लाड**[3] में प्रथम बार के न्यायाधीश ने एक समाचारपत्र के संवाददाता को उसकी जानकारी के स्रोत के संबंध में कोई विधिक विशेषाधिकार प्राप्त होने की बात से इंकार करने के बाद यह कहा था कि "किसी विशिष्ट मामले की विशेष परिस्थितियों में, यह न्यायालय........यह कह सकेगा कि लोक नीति का यह तकाजा है कि पत्रकार को.............छूट प्राप्त हो''। **अटर्नी जनरल बनाम मलहालैंण्ड**[4] में, अपील न्यायालय में, लार्ड डेनिंग, एम० आर० ने पादरियों, पत्रकारों, बैंककारों और डाक्टरों के संबंध में बोलते हुए कहा था कि-- 1963 में विनिश्चित मामलों में कथन-- विवेक तत्व।

"न्यायाधीश उस विश्वास का आदर करेगा जो इन माननीय वृत्तियों के प्रत्येक सदस्य को उसके दौरान प्राप्त होता है, और वह उसे उत्तर देने का निदेश तब तक नहीं देता जब तक कि ऐसा करना न केवल सुसंगत हो बल्कि न्याय के दौरान उस प्रश्न का पूछा जाना और उत्तर दिया जाना उचित है और आवश्यक भी नहीं।''

लार्ड जस्टिस डोनोवान ने उसी मामले में यह भी कहा था कि किसी विशिष्ट परिस्थिति के तथ्यों के आधार पर, विचारण न्यायाधीश को उस स्थिति में जिसमें कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि "प्रकटन के लिए विवश करने या उत्तर देने से इंकार करने के लिए दण्डित करने के परिणामस्वरूप भलाई की बजाए नुकसान अधिक होगा'', किसी पत्रकार को या किसी डाक्टर को जानकारी प्रकट करने के लिए विवश न करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

---

1. आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1920 (इंग्लैंड) की धारा 6।
2. लैविस बनाम कैसल (1938) 2 के० बी० 454।
3. अटर्नी जनरल बनाम क्लाड (1963) 1 आल इं० रि० 420, 428।
4. अटर्नी जनरल बनाम मल हालैंड (1963) 1 आल ई० रि० 767, 771, 773 (1963) 2 क्यू० बी० 477, 486, 489।

मिस्टर जस्टिस जेम्स का विनिर्णय ।

4.8. मिस्टर जस्टिस जेम्स ने, उस समय जब वह वेहिकिल एण्ड जनरल इश्योरेंस कंप ठप्प हो जाने के संबंध में जांच करने वाले अधिकरण के अध्यक्ष थे, संडे टाइम्स के एक पत्रकार प्रकट करने के लिए विवश करने से इंकार कर दिया था कि उस पत्रकार को यह बात कसे मालूम कि व्यापार निरीक्षक का एक विभाग कंपनी के ठप्प होने के दो वर्ष पूर्व से इसके लिए जोर डाल रह न्यायाधीश ने कहा कि "हम समझते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें साक्षी से उसकी वृत्ति सदस्य के रूप में अपने विश्वास के प्रतिकूल जाने के लिए कहा जाए या उसके लिए उसे विवश जाए।"[1]

4.9. तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 1977 में निर्णीत एक मामले में[2] (1977 का हाउस लार्ड्स केस) हाउस आफ लार्ड्स में इस बात पर मतभेद उत्पन्न हो गया था कि क्या विशेषा के मान्य आधार के अभाव में न्यायाधिशों को वह प्राधिकार प्राप्त है जिस पर 1963 के माम ऊपर उद्धृत कथन[3] पर बल दिया गया है।

लार्ड शा क्रास का मत ।

4.10. लार्ड शा क्रास ने, जो आगे चलकर प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हो गए थे, सालमन समि समक्ष अपने साक्ष्य में इस स्थिति का उपयुक्त वर्णन किया था[4] :

> "मेरा अनुभव है कि जब तक कि नितांत आवश्यक न हो किसी भी पत्रकार से बिरले ह कहा जाता है कि वह किसी स्रोत को प्रकट करे । यदि न्यायाधीश या जांच अधिकरण का मत है तो मैं समझता हूं कि स्रोत अवश्य प्रकट किया जाना चाहिए और यह कि स्रोत को जान लोक हित अभिभावी होना चाहिए ।"

अटर्नी जनरल का कथन ।

4.11. मलहालैण्ड और फास्टर वाले मामलों[5] के संबंध में संसद् में जो गरमागरम बहस उसमें अटर्नी जनरल ने कहा था कि :

> "ऐसे अवसर जब किसी पत्रकार से उसे जानकारी देने वाले का नाम बताने की अपेक्ष जा सकती है, अत्यन्त विरले ही होते हैं और वे आमतौर पर साधारण न्यायालयों में उत्पन्न होते हैं । वे अवसर तभी आते हैं जब किसी अधिकरण या संसद् के किसी सदन की समिति लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह किसी पत्रकार द्वारा किए गए अभिकथन की सत्यता जांच करे ।"

उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में किसी पत्रकार से अपनी जानकारी का स्रोत बताने की अ किए जाने की संख्या "लगभग छ:" थी ।

रिपोर्टर के नाम का प्रकटन ।

4.12. अभी तक जो चर्चा हुई है उसका संबंध मुख्य रूप से जानकारी देने वाले के नाम से रह जहां कोई सम्पादक (रिपोर्टर के स्रोत से भिन्न) उस रिपोर्टर का, जिसने कोई कहानी लिखी है, बताने से इंकार करता है तो संभवत: उसके प्रति कम अनुग्रह दिखाया जाएगा ।

साउथ लण्डन पत्र के सम्पादक एलाम हिचिन्स को जब 1956 में ओल्ड बैली में एक साक्षी रूप में बुलाया गया था तब उससे यह बताने को कहा गया था कि किस रिपोर्टर ने कहानी लिखी है उसने "समाचार पत्र की परिपाटी को दृष्टि में रखते हुए" उस प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दिया था न्यायाधीश माण्डे ने उत्तर दिया था कि "जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम बताने के संबंध में मैं आप इस परिपाटी को समझता हूं किन्तु क्या यह मामला उससे भिन्न नहीं है ?"

अन्ततोगत्वा श्री हिचिन्स ने उस रिपोर्टर का नाम बता दिया था[6] ।

---

1. एन्थोनी रिचर्डस, ला फार जर्नलिस्ट्स (1977) पृ० 82-85. ।
2. डी बनाम एन० एस० पी० एस० सी० (1977) 2 डब्ल्यू० एल० आर० 201, (1977) 1 आल ई० रि० 587.
3. पूर्वगामी पैरा 4.7 ।
4. लार्ड शा क्रास एविडेन्स बिफोर सालमन कमेटी, एन्थोनी रिचर्ड्स, ला फार जर्नलिस्ट्स (1972) पृष्ठ 82-83 ।
5. पूर्वगामी पैरा 4.2 ।
6. मैनचेस्टर गार्जियन, 22 सितम्बर, 1956 ।

ग्रनाडा केस—गोपनीय जानकारी का पता चलना ।

4.13. इस संदर्भ में ग्रनाडा केस उल्लेखनीय है जिससे इस स्थिति के अनेक पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। ग्रनाडा टेलिविजन ने (एक टेलिविजन भेंटवार्ता में) कुछ गोपनीय और गुप्त सामग्री प्रकाशित की थी जो अन्य बातों के साथ-साथ, ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के प्रबंध और सरकार के बीच संबंधों के विषय में थी। वह जानकारी और वे दस्तावेजें ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन प्रबंधतंत्र में अति उच्च पदस्थ व्यक्ति से प्राप्त हुई थीं। ब्रिटिश स्टील ने एक रिट जारी करके व्यादेश का दावा किया और यह मांग की कि दस्तावेजें उसे सौंपी जाएं। सम्यक् अनुक्रम में वे दस्तावेजें सौंप दी गई थी किन्तु किसी व्यक्ति ने जानकारी के स्रोत की पहचान को छुपाने के उद्देश्य से उनमें हेराफेरी की थी। वाइस चांसलर ने ग्रनाडा टेलिविजन को आदेश दिया कि वह ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन को एक शपथपत्र दे जिसमें जानकारी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बताया जाए। ग्रनाडा टेलिविजन ने अपील की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात का स्पष्ट अधिकारिक कथन है कि न्यायालय को संभावित अपकृत्य की प्रेस द्वारा जांच पड़ताल के लोक हित के विरुद्ध गोपनीयता के प्राइवेट अधिकार को संतुलित करना चाहिए। उचित मामले में न्यायालय प्रेस की, स्रोत का नाम बताने के लिए विवश किए जाने से संरक्षण प्रदान करेगा किन्तु यह छूट तभी उपलब्ध होगी जब कि प्रकाशक पूरी जिम्मेदारी की भावना से कार्य करे। प्रस्तुत मामले में, ग्रनाडा टेलिविजन ने ऐसी जिम्मेदारी से कार्य नहीं किया था और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। उसका व्यवहार इतना भद्दा था कि वह छूट के अधिकार को खो बैठा[1]।

इंगलैण्ड (कामन ला) में पत्रकारों की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन ।

4.14. इंग्लैण्ड में कामन ला में जो स्थिति है[2] मोटे तौर पर उसके संक्षिप्त वर्णन के रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी पत्रकार को अपनी जानकारी का स्रोत बताने से इंकार करने का कोई विधिक अधिकार तो नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इंग्लैण्ड में पत्रकार की इस प्रार्थना के प्रति कि उसे स्रोत प्रकट न करने की इजाजत दी जाए, न्यायालयों का दृष्टिकोण असहानुभूतिपूर्ण होता है। प्रथमतः, अपमान लेख की कार्रवाई में विचारण पूर्व स्तर पर, सामान्यतया प्रकटीकरण की कार्यवाहियों में स्रोत के प्रकट किए जाने का आदेश नहीं दिया जाता है[3]। द्वितीयतः, किसी पत्रकार को मौखिक साक्ष्य देने के लिए समन करने और उसे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जिनमें उसकी जानकारी के स्रोत का प्रकटीकरण अंतर्वलित होगा, विवश करने के संबंध में इंग्लैण्ड के न्यायाधीश प्रायः उससे ऐसा करने के लिए तब तक आग्रह नहीं करते हैं जब तक कि वे यह नहीं समझते हैं कि किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर तात्त्विक है। तृतीयतः, आजकल विधि में सुधार के लिए न्यायिक सुझाव भी आने प्रारंभ हो गए हैं और इसका एक उदाहरण 1975 में प्रकाशित एक मामले में[4] लार्ड जस्टिस स्कारमैन (जैसे कि वह उस समय थे) द्वारा दिया गया सुझाव है।

III. इंगलैण्ड का 1981 का कानूनी उपबंध

इंगलैण्ड का 1981 का एक्ट ।

4.15. कामन ला में स्थिति का सारांश ऊपर दिया जा चुका है। अब यह उल्लेखनीय है कि इंग्लैण्ड में 1981 में अधिनियमित एक कानूनी उपबंध के द्वारा प्रकाशनों में दी गई जानकारी के स्रोतों को सीमित संरक्षण प्राप्त है। कन्टेम्प्ट आफ कोर्टस ऐक्ट, 1981 की धारा 10 इस प्रकार है[5]:

> "10. कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति से ऐसे प्रकाशन में जिसके लिए वह उत्तरदायी है, अंतर्विष्ट जानकारी के स्रोत को प्रकट करने की तब तक अपेक्षा नहीं कर सकेगा जब तक कि न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह स्थापित नहीं हो जाता है कि उसका प्रकटीकरण न्याय या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा उपद्रव या अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है, और उस स्रोत को प्रकट करने से इंकार के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय अवमान का दोषी नहीं है।"

इसी ऐक्ट की धारा 2(1) में "प्रकाशन" की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है :—

> "2(1) प्रकाशन के अंतर्गत है कोई भाषण, लेख, प्रसारण या अन्य संचार, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, जो जन साधारण को या जनता के किसी वर्ग को सम्बोधित है।"

---

1. ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन बनाम ग्रनाडा टेलिविजन (1980) 3 डब्ल्यू० एल० आर० 774 (एच एल)।
2. कामन ला नियम के कानूनी रूपांतर के लिए आगामी पैरा 4.15 देखिए।
3. आ० 82 नि० 6, आर० एस० सी० (इंगलैण्ड)।
4. सीनियर बनाम होल्डसवर्थ (1975) 2 आल ई० रि० 1009।
5. कन्टेम्प्ट आफ कोर्टस ऐक्ट, 1981 (सी० 49) की धारा 2(1) के साथ पठित धारा 10।

उसी ऐक्ट की धारा 19 द्वारा "न्यायालय" की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसके अंत
राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या निकाय भी है।

यह ध्यान देने की बात है कि कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट्स बिल में (ऊपर उद्धृत) धारा 10 मूल बिल
सम्मिलित नहीं थी और न फिलीमूर कमेटी में, जिसने (1974 में) न्यायालय अवमान विधि
रिपोर्ट दी थी, ऐसे किसी उपबंध की सिफारिश की थी। यह धारा कामन्स कमेटी के प्रक्रम पर
में जोड़ी गई थी[1]।

IV. प्रकटीकरण की बाध्यता का विस्तार

इंगलैण्ड में ऐसा कोई साधारण कर्तव्य नहीं है।

4.16 उपर्युक्त चर्चा से दर्शित होता है कि इंगलैण्ड में यदि सक्षम प्राधिकारी किसी स्रोत के प्रक
करण को आवश्यक समझता है तो उसे प्रकट करने की केवल सीमित विधिक बाध्यता है। इस सीमि
बाध्यता को कन्टेम्प्ट आफ कोर्टस ऐक्ट, 1981 की धारा 10 लागू होती है। इसके साथ यह भी
रखें कि सभी अवसरों पर प्रकटीकरण का कोई साधारण कर्तव्य नहीं है। उस दशा को छोड़कर
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई हो, किसी भी पत्रकार से अपनी जानकारी का स्रोत प्रकट क
की अपेक्षा नहीं की जा सकती है[2]। अस्तु, 1963 में बैयरले हिल अरबन डिस्ट्रिक्ट कमेटी की वित्त
समिति ने यह मांग की थी कि उसे एक समाचारपत्र के उस समाचार के जिसमें स्थानीय रेट में प्रस्तावि
वृद्धि के बारे में अग्रिम सूचना दी गई थी, संवाददाता और उसे जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम बत
जाए। समाचार पत्र के सम्पादक ने कहा कि उनके नाम बताने का उसका "तनिक भी इरादा नहीं है"

1958 में ग्लासगों कारपोरेशन में प्रबल लेबर ग्रुप ने एक नगर पत्रकार के विरुद्ध, जिसने काउंसि
में मकान किरायों में प्रस्तावित वृद्धि संबंधी एक गोपनीय दस्तावेज में अंतर्विष्ट ब्यौरे प्रकाशित कि
थे, कुछ (अविनिर्दिष्ट) कार्रवाई करनी चाही थी। वह ग्रुप उस पत्रकार के सूचनादाता के विरुद्ध
कार्रवाई करना चाहता था। किन्तु वह पत्रकार के विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ था और यह भी प
नहीं लगा सकता था कि सूचनादाता कौन है[2]।

V. अपमान लेख की कार्रवाइयों में प्रकटीकरण

अपमान लेख की कार्रवाईयां।

4.17. कन्टेम्प्ट आफ कोर्टस ऐक्ट, 1981[3] के पारित होने से पूर्व भी सुस्थापित हो चुका था
इंगलैण्ड में अन्तर्वर्ती कार्यवाहियों (अर्थात् सिविल कार्रवाई की सुनवाई की प्रारंभिक कार्यवाहियों)
ऐसा कोई परिप्रश्न साधारणतया नहीं पूछा जा सकता था जिसमें किसी समाचारपत्र से, अपमान ले
के लिए उस पर वाद चलाए जाने की दशा में, जानकारी का स्रोत प्रकट करने की अपेक्षा की गई हो
अतः यह अभिनिर्धारित किया गया है[4] कि अपमान लेख की कार्रवाई में किसी समाचारपत्र से वहां उस
स्रोत प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है जहां प्रतिरक्षा के रूप में उचित टीका टिप्पणी
अभिवाक् किया गया हो। इसके अतिरिक्त, अपील न्यायालय ने एक ऐसे मामले में जिसमें अपमा
लेख के लिए नुकसानी की कार्रवाई में "औचित्य" का अभिवाक् किया गया था, क्रीड़ा (स्पोर्ट) लेखक
अपना स्रोत प्रकट करने की अपेक्षा की अनुमति नहीं दी थी[5-6]।

अपमान लेख की कार्रवाइयों में प्रकटन के विषय में सुप्रीम कोर्ट का नियम।

4.18. अपमान लेख की कार्रवाइयों में परिप्रश्नों के विषय में ये न्यायिक विनिश्चय अब सुप्री
कोर्ट के नियमों में समाविष्ट कर लिए गए हैं और सुसंगत नियम इस प्रकार हैं[7] :—

"अपमान लेख या अपमान वचन की किसी कार्रवाई में जहां प्रतिवादी यह अभिवाक् करत
है कि वे शब्द या सामग्री" जिनके बारे में परिवाद किया गया है, लोक हित के किसी विषय प

---

1. स्टैंडिंग कमेटी ए-7 जिसकी बैठकें 21 अप्रैल 1981 को शुरू हुई : जिल्द 9 (करेंट स्टेट्यूटस में व्याख्या देखिए)।
2. एन्थोनी रिचर्डस, ला फार जर्नलिस्ट्स (1977), पृष्ठ 83।
3. पूर्वगामी पैरा 4.15।
4. लियान बनाम डेली टेलीग्राफ (1943) 1 के० बी० 479 : (1943) 2 आल इं० रि० 316 (सी० ए०)।
5. लाडसन बनाम कोडामा प्रेस लि० (1949) 1 के० बी० 129 : (1943) 2 आल इं० रि० 717 (सी० ए०)
6. व्यापक निर्देशों के लिए देखिए, नेटले लिबेल एण्ड स्लैंडर (1981), पैरा 1216।
7. आ० 8 रूल 9, आर० एस० सी० (इंगलैण्ड)।

उचित टीकाटिप्पणी हैं या वे किसी विशेषाधिकार प्राप्त अवसर पर प्रकाशित किए गए थे वहां प्रतिवादी की सूचना के स्रोतों या उसके विश्वास के कारणों के बारे में किन्हीं परिप्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाएगी ।"

प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन ।

4.19. यह भी उल्लेखनीय है कि 1976 में एक न्यायाधीश ने एक समाचारपत्र को यह आदेश देने से इंकार कर दिया था कि वह सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री को अपनी सूचना का स्रोत प्रकट करे। उस मंत्री ने उक्त समाचार पत्र के प्रकाशकों पर प्रतिलिप्याधिकार के अभिकथित अतिलंघन और गोपनीय सूचना के दुरुपयोग के लिए वाद चलाया था[1]।

VI. युनायटेड किंगडम की प्रेस काउंसिल—स्रोत के प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

प्रेस काउंसिल (यु० के०)

4.20. यदाकदा युनाइटेड किंगडम की प्रेस काउंसिल को पत्रकारों द्वारा स्रोतों के प्रकटीकरण के संबंध में यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स की नाटिंघम शाखा ने सी० आई० डी० अधिकारियों द्वारा नाटिंघम इवनिंग पोस्ट के कार्यालय में आने जाने के बारे में शिकायत की थी। इन अधिकारियों ने मांग की थी कि छद्मनाम से संपादक के नाम पत्र लिखने वाले व्यक्तियों के सही नाम उन्हें बताए जाएं। प्रेस काउंसिल ने निम्नलिखित न्यायनिर्णयन किया था :—

"पुलिस को अन्य स्थानों की तरह समाचारपत्रों के कार्यालयों में पूछताछ की स्वतंत्रता होनी चाहिए किन्तु एक पत्रकार से यह अनुरोध करना कि वह सुरक्षा संबंधी विषयों पर सूचना प्रदान करने का स्रोत बने, अनुचित था।"

VII. चिकित्सीय अभिलेख

चिकित्सक और रोगी।

4.21. इंग्लैण्ड में चिकित्सीय अभिलेखों के संबंध में निर्णीत कुछ मामलों के प्रति निर्देश करना प्रासंगिक होगा। सामान्यतया[2] किसी रोगी द्वारा अपने चिकित्सक को विश्वास के आधार पर दी गई सूचना के संबंध में अप्रकटन के किसी विशेषाधिकार को कामन ला में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि, विधि में सुधार के सुझाव यदाकदा दिए गए हैं[3] तथापि इंग्लैण्ड में ऐसा कोई विधान अभी तक पारित नहीं किया गया है। किन्तु समझा जाता है कि कुछ राष्ट्रमंडल देशों ने इस विषय पर विधियां अधिनियमित की हैं[4]।

4.22. कामन ला का दृष्टिकोण जेस्सेल, एम० आर०[5] की अभ्युक्ति से प्रकट हो जाता है। उन्होंने कहा था कि (साक्ष्य विधि में) संरक्षण केवल ऐसी संसूचनाओं तक सीमित है जो कोई व्यक्ति उस समय विधिक सलाह प्राप्त करने के लिए अवश्य करेगा जब कि ऐसी सलाह की आवश्यकता उसे अपने जीवन या मान सम्मान अथवा अपनी सम्पत्ति के संरक्षण के लिए हो। उनका विचार था कि यद्यपि ऐसी अनेक संसूचनाएं हैं जो इसलिए नितांत आवश्यक होती हैं कि उनके बिना जीवन का साधारण क्रिया कलाप चल नहीं सकता है, तथापि वे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। "संरक्षण अत्यंत सीमित स्वरूप का है और इस देश में वह मुकदमें के संचालन या संपत्ति के अधिभार के संबंध में वकीलों की सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित है।"

VIII. अपमानजनक सामग्री

प्रकटन के विरुद्ध संरक्षण।

4.23. एक ऐसा विषय है जिसमें इंग्लैण्ड में न्यायिक परिपाटी प्रकटन की इजाजत नहीं देती है। जहां कोई अपमानजनक लेख प्रकाशित हुआ हो। वहां न्यायालय संपादक को स्रोत या लेखक का नाम प्रकट करने के लिए विवश नहीं करेगा[6]।

---

1. एन्थोनी रिचर्ड्स, ला फार जर्नलिस्ट्स (1977) पृष्ठ 83।
2. हंटर बनाम मान, 2 आल इं० रि० 414; 2, क्रास एविडेन्स (1979) पृष्ठ 296-297।
3. डी बनाम ई० एस० पी० सी० सी० (1978) ए० सी० 171, 245, (1976) 2 आर इं० रि० 923 (लार्ड एडमंडस डेविस)।
4. आगामी पैरा 5.4।
5. व्हीलर बनाम ला मर्चेण्ट (1881) 17 चांसरी डिवीजन 675 (जेस्सेल एम० आर०)।
6. बहामा आइलैण्ड रेफरेंस का मामला, (1893) ए० सी० 138-140 (पी० सी०)।

IX. दस्तावेजों की चोरी

इंगलैण्ड में दस्तावेजों की चोरी के मामले।

4.24. इंग्लैण्ड में एक पत्रकार द्वारा एक दस्तावेज की चोरी का एक दिलचस्प मामला
डैविड मे नामक एक पत्रकार ने, 1974 में पेरिस में एक स्पेनिश बैंकर के अपहरण के बाद उस
प्राप्त किए थे। यह साबित करने के लिए कि वे फोटो प्रामाणिक हैं, उनके साथ उस बैंकर
निवास का परमिट भी था। मे ने उन फोटो और उस परमिट का स्रोत पुलीस को
इंकार कर दिया था। उस पर "चोरी की गई सम्पत्ति" (परमिट) को र
आरोप लगाया किन्तु वह दोषमुक्त ठहराया गया। अभियोजन पक्ष ने यह स्वीकार
यदि मे ने अपना स्रोत प्रकट कर दिया होता तो उस पर वह आरोप न लगाया गया होता[1]।
कहना था कि उसने पत्रकारिक आचार संहिता का उल्लंघन किया था क्योंकि उस बैंकर का जी
में था। न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकारों के चुप रहने की संहिता ऐसी नहीं है कि उसमें "ल
नहीं है" और "ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें.........विश्वास की तुलना में ज
संरक्षा करना अधिक सम्मानजनक है।"

1973 में **सण्डे टाइम्स** और **द रेलवे गजट** ने एक गोपनीय दस्तावेज के आधार पर जो (अभि
के अभिकथन के अनुसार) मंत्रालय के कार्यालयों से "हटाई" गई थी, रेल सेवाओं में प्रस्तावित
के बारे में समाचार प्रकाशित किए थे। पुलिस ने रेलवे गजट के कार्यालयों पर, यह कहते हु
बोला कि वे दस्तावेजों की एक अभिकथित चोरी का अन्वेषण कर रही है, किन्तु उसे उस स्रोत
नहीं चल सका जिसके जरिए वह बाहर निकली थी। बाद में अटर्नी जनरल ने अनुभव किया
दस्तावेज की फोटो प्रति "चुराने" का आरोप किसी पर लगाने के लिए "अपर्याप्त जानकारी

---

1. सम्राट बनाम मे (1975)—जिस रूप में उसका सारांश एन्थोनी रिचर्डस ने ला फार जर्नलिस्ट्स (19
84-85 मे दिया है।

2. एन्थोनी रिचर्डस ला फार जर्नलिस्ट्स (1977) पृष्ठ 85।

अध्याय 5

राष्ट्रमण्डलीय देश

आस्ट्रेलिया।

5.1. आइए अब विचाराधीन विषय पर कुछ राष्ट्रमण्डलीय देशों में विद्यमान स्थिति की संक्षेप में चर्चा की जाए। आस्ट्रेलिया कामन ला के इस साधारण नियम का अनुसरण करता है कि कानूनी उपबंध के अभाव में, पत्रकारों को न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में, अपनी सूचना का स्रोत प्रकट करने से इंकार करने का कोई अधिकार नहीं है[1]। जस्टिस स्टार्क के वे विचार[2] जो उन्होंने पत्रकार द्वारा स्वयं खुले आम किए गए अभिकथनों की सत्यता अभिनिर्धारित करने के लिए स्थापित एक रायल कमीशन आफ इन्क्वायरी के समक्ष कार्यवाही के संबंध में व्यक्त किए थे, न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों को भी लागू होते हैं :—

> "तत्पश्चात् यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को उस सूचना का जिस पर समाचारपत्र में प्रकाशित लेख आधारित थे, स्रोत विशेषाधिकार प्राप्त था और यह कि उसे उस स्रोत को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। **विधि की दृष्टि में ऐसा कोई विशेषाधिकार विद्यमान नहीं है।** कानूनी उपबंधों के अतिरिक्त, न्यायालयों में प्रेस को सम्राट के प्रत्येक प्रजाजन के विशेषाधिकार से अधिक या कम कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं।"

उपर्युक्त मामले में संपादक द्वारा प्रकाशित लेखों में यह अभिकथन किया गया था कि विक्टोरियन पार्लियामेन्ट के कुछ सदस्यों ने (जिनके नाम नहीं बताए गए थे) संसद् में पुरःस्थापित दो विधेयकों के संबंध में रिश्वत ली थी।

रायल कमीशन ने उससे उसकी सूचना के बारे में एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देने से उसने इंकार कर दिया। उसे एविडेन्स ऐक्ट, 1928 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और उस पर 15 पौण्ड का जुर्माना किया गया। उसने आस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय में अपील की जिसने अभिनिर्धारित किया कि उसे ठीक ही दोषसिद्ध किया गया था।

न्यू साउथवेल्स में विनिर्णय।

5.2. उपर्युक्त मामले में आस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय के मत का अनुसरण न्यू साउथवेल्स के एक पूर्ण न्यायालय विनिर्णय में किया गया है[3]। पूर्ण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह आदेश कि कोई पत्रकार अपने स्रोत के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे, करने से इंकार का विवेकाधिकार केवल इस बात तक विद्यमान है कि वह प्रश्न विसंगत या अनुचित है[4]।

5.3. बाद में एक मामले में जिसका विनिश्चय 1976 में किया गया था, आस्ट्रेलियाई कैपिटल टेरीटोरी के सुप्रीम कोर्ट का भी यह मत था[5]। यह मानहानि के लिए कार्रवाई थी जिसके विषय में यह अभिकथन किया गया था कि वह प्रतिवादी निगम (कारपोरेशन) ने अपने समाचारपत्र में एक लेख प्रकाशित करके की थी। उस पत्रकार से जिसने लेख लिखा था, प्रतिपरीक्षा के दौरान उन सूचनादाताओं के नाम पूछे गए जिन्होंने वह सूचना दी थी जिसके बारे में अभिकथन था कि वह मानहानिकारक है। उस पत्रकार ने यह कहते हुए उस प्रश्न का उत्तर देने से इंकार किया कि उसने ऐसा न करने का वचन दिया है। न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि उस पत्रकार को कोई सुसंगत विशेषाधिकार

---

1. मिस्टर जस्टिस डेविड हण्ट "क्यों न हम पहले न्याय के संबंध में प्रेस की भूमिका का संशोधन करें?" (1980) 54, ए० एल० जे० 458-462।
2. मैकगिनेस बनाम अटर्नी जनरल आफ विक्टोरिया (1940) 63 सी० एल० आर०, 73, 93 (आस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय)।
3. ......का मामला (1964-1965) एन० एस० डब्ल्यू० आर० 1379, 1381।
4. ला रिफार्म कमेटी आफ वेस्ट आस्ट्रेलिया के कार्य पत्र (पत्रकारों के लिए विशेषाधिकार) पृष्ठ 3.5 पैरा 2.4 से 2.9 तक (10 जून, 1977) से तथ्य लिए गए हैं।
5. ...लिट बनाम वेस्ट आस्ट्रेलिया न्यूजपेपर लि० (17 नवम्बर 1978) से (ए० सी० टी० का सुप्रीम कोर्ट) का तथ्य ला रिफार्म कमेटी आफ वेस्ट आस्ट्रेलिया के कार्यपत्र पत्रकारों के लिए विशेषाधिकार, पृष्ठ 5-6, पैरा 2.10 (10 जून 1977), से तथ्य लिए गए।

प्राप्त नहीं है इस संबंध में उन्होंने न्यू साउथवेल्स पूर्ण न्यायालय के उस निर्णय का अनुसरण कि
जिसका उल्लेख हम इससे पूर्व कर चुके हैं[1]।

5.4. ऊपर बताई गई स्थिति आस्ट्रेलिया में किसी कानूनी उपांतरण के अभाव में, पत्रका
बारे में है। कामन ला अधिकारिताओं में साधारणतया मान्यताप्राप्त विशेषाधिकारों के अति
दो और विशेषाधिकारों का सृजन करने के लिए विधान अधिनियमित करना आस्ट्रेलियाई
(विक्टोरिया और तसमानिया) ने ठीक समझा है। उन राज्यों में कोई भी पादरी उसकी वृ
हैसियत में उसे की गई किसी स्वीकारोक्ति में बताई गई बातें रोगी की अनुमति के बिना, प्रकट नह
सकता है[2]। इन राज्यों में कोई चिकित्सक या सर्जन भी ऐसी कोई जानकारी जो उसने
की चिकित्सा करते हुए अर्जित की है और जो उसे उस रोगी के लिए नुस्खा लिखने का कार्य कर
लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक थी, सिविल कार्यवाहियों में प्रकट नहीं कर सकता है (जब त
रोगी का मानसिक स्वास्थ्य या वसीयत करने की उसकी हैसियत प्रश्नगत न हो)[3,4]।

कनाडा की स्थिति

5.5. इस विषय पर कनाडा में जो विधि है उसकी चर्चा के आरंभ में राष्ट्र मण्डलीय देशों में प्रच
इस आशय के सामान्य नियम का[5] उल्लेख किया जा सकता है कि गोपनीय संसूचनाओं के लिए
द्वारा प्रदत्त संरक्षण बहुत सीमित स्वरूप का है और वह मुकदमें के संचालन या संपत्ति के अधिका
संबंध में वकीलों की सहायता प्राप्त करने तक निर्बन्धित है। इस आधार पर यह कहा जा सकता
कनाडा में पत्रकारों को उनकी वृत्ति के दौरान विश्वास के आधार पर प्राप्त जानकारी को प्रकट
के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। पत्रकारों के संबंध में इसी आशय का एक विनिर्णय ब्रि
कोलम्बिया कोर्ट आफ अपील का है[6]।

सुप्रीम कोर्ट के मामले (कनाडा) में इतरोक्ति।

5.6. इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि कनाडा के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत एक माम
(जिसका संबंध पत्रकारों से नहीं है) कुछ इतरोक्तियां हैं जिनमें यह कहा गया है कि वकील
मुवक्किल के संबंध से परे भी गोपनीय संबंध का संरक्षण करने के विशेषाधिकार को न्य
पालिका से प्रोत्साहन मिल सकता है। उस मामले में अलबर्टा में विश्वविद्यालय के एक प्रो
ने एक कालेज के बारे में कुछ प्राक्कथनों के लिए विशेषाधिकार का दावा किया था। उसने ये प्राक्क
अवधि के विचारार्थ विश्वविद्यालय की कार्यवाही के भाग के रूप में, विभागीय अध्यक्ष को एक गोप
दस्तावेज में किए थे। साक्ष्य संबंधी विशेषाधिकार की मान्यता के लिए विगमूर द्वारा बताई गई प्र
"चार मूलभूत दशाएं" उद्धृत करने के पश्चात् कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि
मानकर कि मुकदमेबाजी में साक्ष्य संबंधी विशेषाधिकार लागू होता है, "गोपनीय दस्तावेज की ब
यह विनिर्णय किया जाना चाहिए कि वह .... विगमूर द्वारा ....
में विद्वत्तापूर्ण रूप से चर्चित विशेषाधिकार के सिद्धान्त के अधीन.......... अग्राह्य है।" तथ
न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उसके समक्ष जो विशिष्ट तथ्य हैं उनको साक्ष्य विधि
नहीं होती है[7]।

---

1. .... का मामला (1964-65) एन० एस० डब्ल्यू० आर० 1379 (पूर्वगामी पैरा 5.2 देखिए)।

2. एविडेन्स ऐक्ट, 1958, धारा 28(1) (विक्टोरिया), एविडेन्स ऐक्ट, 1910, धारा 96(1) (तसमानिया)
तसमानिया राज्य का उपबन्ध आपराधिक प्रयोजन के लिए दी गई किसी संसूचना को लागू नहीं होता है।

3. एविडेन्स ऐक्ट, 1958, धारा 28(2) और (3) (विक्टोरिया); एविडेन्स ऐक्ट, 1910, धारा 95(2) और
(तसमानिया): तसमानिया राज्य का उपबंध आपराधिक प्रयोजन के लिए दी गई किसी संसूचना को लागू नहीं होत

4. इंगलैण्ड में प्रचलित परिपाटी के लिए पूर्वगामी पैरा 4.20 देखिए।

5. वहीतर बनाम ला मर्चेण्ट (1981) 17 एस०डि० 675, 681, 682 (सी ए)।

6. मैककोनाची बनाम टाइम्स पब्लिशर्स लि० (1964) 49 डी० एल० आर० (सेकेण्ड) 249 (ब्रिटिश कोलम्
कोर्ट आफ अपील), जो स्टेनले सेविक द्वारा एविडेन्स इन लिटिगेशन प्रोसेस (1978), जिल्द 2, पृष्ठ 1011 पर
किया गया है।

7. स्लावुटिच बनाम पोकर (1976) एस०डी०आर० 254, 260, 261 (सुप्रीम कोर्ट आफ कनाडा)।

ओन्टारियो का मत।

5.7. यह उल्लेखनीय है कि ओन्टारियो के कोर्ट आफ अपील का यह निष्कर्ष है कि "केवल गोपनीयता के आधार पर सुसंगत और ग्राह्य साक्ष्य को अपवर्जित करने का कोई मान्य विवेकाधिकार नहीं है[1]।"

कनाडा में मानहानि के लिए कार्रवाई।

5.8. यह बताना उचित होगा कि विचारण पूर्व प्रकटन कार्यवाहियों के संकीर्ण संदर्भ में जहां कार्रवाई समाचारपत्र के स्वत्वधारियों या रिपोर्टरों के विरुद्ध है और वह प्रकाशित लेखों से उत्पन्न हुई है, यह प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे मामलों में प्रतिवादियों को, वादी की मांग के उत्तर में, सूचनादाताओं के नाम प्रकट करने के लिए विवश करने से इंकार करने की इंग्लैण्ड की परिपाटी[2] का अनुसरण कनाडा में कहां तक किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में कनाडा में लोगों की राय भिन्न-भिन्न है। ओन्टारियों के न्यायाधिशों ने इस शताब्दी के आरंभ से ही इंग्लैण्ड की परिपाटी का निरंतर अनुसरण किया है[3]। तथापि ब्रिटिश कोलम्बिया के कोर्ट आफ अपील ने इंग्लैण्ड की परिपाटी का अनुसरण करने से जोरदार शब्दों में इंकार किया है[4-5]। अतः यह प्रतीत होता है कि इस बारे में कनाडा में जो स्थिति है वह अभी अनिश्चित है[6]।

प्रस्तावित साक्ष्य संहिता (कनाडा)।

5.9. अंत में यह उल्लेखनीय है कि कनाडा के लिए प्रस्तावित साक्ष्य संहिता विद्यमान सिद्धांत में कड़े परिवर्तन करेगी। उस संहिता की धारा 41 का स्वरूप इस प्रकार है[7] :—

> "41. ऐसे व्यक्ति को जिसने वृत्तिक सेवा प्राप्त करने के प्रयोजन से, किसी वृत्ति को चलाने वाले किसी व्यक्ति से परामर्श किया है या जिसकी किसी वृत्तिक व्यक्ति द्वारा ऐसी सेवा की गई है, उस गोपनीय संसूचना के जो उस संबंध के अनुक्रम में उचित रूप से की गई है, प्रकटन के विरुद्ध विशेषाधिकार तब प्राप्त है, यदि परिस्थितियों को देखते हुए, संबंध की गोपनीयता में निहित लोकहित न्याय प्रशासन में लोकहित से अधिक महत्वपूर्ण है।"

---

1. लेजिसलेटिव प्रिविलेज के संबंध में निर्देश (1978) 18 ओन्टारियो रिपोर्टस् (दूसरी) 529, 541 ; 39 कैनेडियन क्रिमिनल केसेज (सेकेण्ड) 226, 228 जो स्टेनले सेचिफ द्वारा एविडेन्स इन लेजिसलेटिव प्रोसेस (1978), जिल्द 2, पृष्ठ 1011 पर उद्धृत किया गया है।
2. इंगलैण्ड की परिपाटी के लिए देखिए आर्डर 82, रूल 6 आर० एस० सी० (इंगलैण्ड) और पूर्वगामी अध्याय 4।
3. रीड बनाम टेलिग्राम पब्लिशिंग कं० (1961) ओन्टारियो रिपोर्टस् 418 (ओन्टारियो हाई कोर्ट आफ जस्टिस) जिसका हवाला स्टेनले सेचिफ ने एविडेन्स इन लिटीगेशन प्रोसेस (1978), जिल्द 2, पष्ठ 1012 पर दिया है।
4. मैक्कोरेकी बनाम टाइम्स पब्लिशर्स लि० (1964) 49 डी० एल० आर० (सेकेण्ड) 349 (ब्रिटिश कोलम्बिया)।
5. मेकलाउचलिन, "कान्फीडेनशियल कम्यूनिकेशन एण्ड द ला आफ प्रिविलेज" (1977) 11 यूनिवर्सिटी आफ ब्रिटिश कोलम्बिया ला रिव्यू, 266।
6. स्टेनले सेचिफ एविडेन्स इन लिटिगेशन प्रोसेस (1978) जिल्द 2, पृष्ठ 1011-1012।
7. धारा 41, कनाडा की साक्ष्य संहिता (प्रस्तावित), जो स्टेनले सेचिफ द्वारा एविडेंस इन द लिटिगेशन प्रोसेस (1978) जिल्द 2, पृष्ठ 1011-1012 पर उद्धृत की गई है।

अध्याय 6

संयुक्त राज्य अमरीका में स्थिति

I. प्रथम संशोधन

प्रस्तावना।

6.1. पत्रकारिक विशेषाधिकार के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका में बहुत व्यापक विका है। यहां तक कि 1972 में इस विषय का संविधानिक महत्व हो गया था[1]। इस अध्याय में इन वि के केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही प्रकाश डाला जाएगा।

प्रथम संशोधन और ब्रेंजबर्ग वाले मामले में निर्णय।

6.2. यद्यपि इस बात पर आम सहमति थी कि कामन ला पत्रकारों को कोई विशेषाधिकार न है, तथापि यह प्रश्न उठ खडा हुआ कि क्या संयुक्त राज्य का संविधान ऐसा विशेषाधिकार प्रदान है। प्रथम संशोधन में उपबंध है कि "कांग्रेस, प्रेस की............ स्वतंत्रता को न्यू वाली...............कोई विधि नहीं बनाएगी"।

1972 में संयुक्त राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने तीन मामलों का पुनर्विलोकन किया जिनमें राजनीतिक और सामाजिक ग्रुपों के क्रियाकलाप और विचारों का अन्वेषण करने वाले ग्रेण्ड जू पत्रकारों को गोपनीय जानकारी और सूचनादाताओं के नाम प्रकट करने के लिए विवश करने का किया था। जिन तीन मामलों की एक साथ सुनवाई की गई थी वे हैं :

(i) ब्रेजबर्ग **बनाम** हेय्स,

(ii) पापास का मामला, और

(iii) यू० एस० **बनाम** काल्डवेल। इन मामलों को सामूहिक रूप से, बैजबर्ग का मामला से जाना जाता है[2]।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथम संशोधन इन परिस्थितियों में, पत्रका कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है[3-4]।

II. राज्य विधियां

(संयुक्त राज्य अमरीका में शील्ड विधियां)

संयुक्त राज्य अमरीका में राज्य विधियों के अधीन स्थिति।

6.3. इस तथ्य से कि प्रथम संशोधन पत्रकारों को गोपनीय जानकारी के प्रकटन से छूट प्रदा करता है, मामला समाप्त नहीं होता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में अनेक राज्यों ने विधान द्व यह उपबंध किया है कि पत्रकार और उसके स्रोत के बीच के गोपनीय संबंधों को संरक्षण प्रदान जाना चाहिए। यह स्थिति "शील्ड विधियां" पारित करके प्राप्त हुई हैं। इन विधियों में संवादद को उनका स्रोत बलात् प्रकट करने से छूट देने का उपबंध किया गया है। अलग-अलग राज्यों विधान का ब्यौरा अलग-अलग है[5]। संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसी विधि पारित करने वाला राज्य मेरीलैण्ड था (1896) और उसका अनुसरण (1938 में) न्यूजरसी (1935 में) अल और केलीफोर्निया और अन्य राज्यों ने किया[6]। 1970 में न्यूयार्क में ऐसी विधि पारित की और पेनसिलवानिया राज्य 1937 में ही ऐसी विधि पारित कर चुका था[7-8]। सबसे अधिक वि उपबंध केलीफोर्नियां में किया गया था। यह उपबंध 1935 में सर्वप्रथम अधिनियमित किया ग और यह केलीफोर्नियां साक्ष्य संहिता की धारा 1070 के रूप में है[9]।

---

1. आगामी पैरा 6.2।
2. ब्रेंजबर्ग **बनाम** हेय्स (1972) 33 एल० एडिशन 2 रा 628।
3. साधारणतया देखिए आलफ्रेड हिल "टेस्टीमोनियल प्रिविलेज एण्ड फेयर ट्रायल" (अक्तूबर 1980) 80 कार रिव्यू० 1170-1176।
4. अपमानलेखीय कार्रवाइयों के बारे में आगामी पैरा 6.13 देखिए।
5. आगामी पैरा 6.4।
6. धारा 1070, केलीफोर्निया साक्ष्य संहिता।
7. धारा 79-एच० न्यूयार्क सिविल राइट्स ला।
8. पेनसिलवानियां स्टेट्यूट्स, टाइटिल 28, धारा 330।
9. धारा 1070, केलीफोर्निया साक्ष्य संहिता।

वर्ष 1980 तक संयुक्त राज्य अमरीका में 26 राज्यों ने शील्ड विधियां पारित की थीं। ऐसी विधि पारित करने वाला अंतिम राज्य टेनिसी था [1973][1]।

इस विषय की विस्तार से चर्चा दो पुस्तकों में की गई है[2,3]।

संयुक्त राज्य अमरीका में राज्य विधियां।

6.4. संयुक्त राज्य अमरीका में राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों की अंतर्वस्तु अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हैं। वे भिन्नताए निम्नलिखित के विषय में हैं—

(क) कानूनों के अंतर्गत आने वाले प्रकाशन वर्ग,

(ख) उन व्यक्तियों के वर्ग जिनको कानूनों द्वारा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है,

(ग) कानूनों द्वारा संरक्षित विषय,

(घ) कानूनों में गोपनीयता की अपेक्षा की उपस्थिति या उसका अभाव, और

(ङ) कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार की गुणवत्ता या प्रास्थिति।

संयुक्त राज्य अमरीका में संरक्षित प्रकाशनों के वर्ग।

6.5. प्रथमतः, संयुक्त राज्य अमरीका में विभिन्न राज्यों में प्रवृत्त "शील्ड विधियों" के अंतर्गत आने वाले प्रकाशन वर्गों के संबंध में मोटे तौर पर तीन प्रवर्ग हैं :—

(i) समाचारपत्रों और रेडियो तथा टेलीविजन स्टेशनों को संरक्षण प्रदान करने वाले कानून (उदाहरणार्थ अलबामा);

(ii) कानून जिनके अंतर्गत पत्रिकाएं, समाचार एजेंसियां, प्रेस एसोसिएशन और वायर सर्विसेज भी आती हैं। (उदाहरणार्थ, न्यूयार्क);

(iii) कानून जिनके अंतर्गत "जनता को संसूचना का कोई भी माध्यम" आता है। (उदाहरणार्थ ओरेगान और न्यूमेक्सिको)।

संयुक्त राज्य अमरीका में संरक्षण प्राप्त व्यक्ति-वर्ग।

6.6. द्वितीयतः जहां तक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति-वर्गों का संबंध है, अमरीका में राज्यों की "शील्ड विधियां" के अधीन तीन प्रवर्ग हैं :

(i) कानून जिनके अंतर्गत केवल वृत्तिक रिपोर्टर और न्यूज कास्टर्स आते हैं (उदाहरणार्थ न्यूयार्क);

(ii) कानून जिनके अधीन संपादकों, लेखकों और प्रकाशकों को भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं, (उदाहरणार्थ अरकान्सास); और

(iii) कानून जो सुसंगत माध्यम से ऐसी हैसियत में जिसमें जानकारी एकत्र करना और उसके संबंध में आगे कार्यवाही करने का कार्य जुड़ा हो, सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं (उदाहरणार्थ मिनीसोटा और नेब्रास्का);

संयुक्त राज्य अमरीका में संरक्षण प्राप्त विषय।

6.7. तृतीयतः, ऐसी शील्ड विधियों द्वारा संरक्षण प्राप्त विषय निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(i) किसी पत्रकार द्वारा वृत्तिक हैसियत में प्राप्त जानकारी के स्रोत मात्र (उदाहरणार्थ, ओहियो और केन्टकी); या

(ii) सभी अप्रकाशित जानकारी (उदाहरणार्थ, नेब्रास्का और ओरेगान)।

संयुक्त राज्य अमरीका में गोपनीयता की अपेक्षा।

6.8. चतुर्थतः, जहां तक गोपनीयता की अपेक्षा का संबंध है, अमरीका में साधारणतया या शील्ड विधियों के अधीन ऐसी कोई अभिव्यक्त अपेक्षा नहीं है कि स्रोत ने जानकारी इस विश्वास पर दी हो कि उसकी पहचान गुप्त रहेगी (उदाहरणार्थ, अलबामा, मिनीसोटा और न्यूयार्क के कानून)।

संयुक्त राज्य अमरीका में विशेषाधिकार की गुणवत्ता या प्रास्थिति।

6.9. अंतिमतः, जहां तक विशेषाधिकार की गुणवत्ता या प्रास्थिति का संबंध है, अमरीका के कुछ कानूनों में आत्यंतिक विशेषाधिकार का उपबंध है, उदाहरणार्थ अलबामा और न्यूयार्क के कानून। अन्य कानूनों में केवल विशेषित विशेषाधिकार का उपबंध है। इस प्रकार के कानून का एक उदाहरण मिनीसोटा के कानून हैं। मिनीसोटा के कानून में उपबंध है कि विशेषाधिकार "मानहानि के किसी

---

1. सोबेल, मीडिया कन्ट्रोवर्सीज (फैक्टस् आन फाइल 1981) पृष्ठ 153-173; ओब्राएन, पब्लिक्स राइट टू नो (1980) परिशिष्ट ग, पृष्ठ 183-185 (राज्य शील्ड विधियां)।
2. मारिस वान गरपेन, प्रिविलेज्ड कम्यूनिकेशन्स एण्ड द प्रेस (1979) वेस्टपोर्ट कानेक्टीकट ग्रीनवुड प्रेस)।
3. विन्सेण्ट ब्लासी, द न्यूजमेन्स प्रिविलेज एन एम्पोरिकल स्टडी (1971) [मिच० ला० रिव्यू 229।

मामले में लागू नहीं होता है जिसमें प्रकटन चाहने वाला व्यक्ति यह निदर्शित कर सकता है स्रोत की पहचान के परिणामस्वरूप, वास्तविक दुर्भाव के विवाद्यक पर सुसंगत साक्ष्य प्राप्त होगा[1]" जहां जानकारी किसी गंभीर अपराध से सुसंगत है और ऐसा विवशकारी और अभिभावी हित जो जानकारी के प्रकटन की अपेक्षा वहां करता है जहां अन्याय रोकने के लिए ऐसा प्रकटन आवश्यक हैं, परन्तु यह कि जानकारी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती है। न्यू मेक्सिको के कानून में वहां प्रकटन अपेक्षित है जहां "वह अन्याय को रोकने के लिए परमावश्यक है"।

समाचार के संचार पर प्रभाव।

6.10. यह अभिनिश्चित करना उचित होगा कि क्या संरक्षण के अभाव या होने का प्रभाव समाचार के संचार पर पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन राज्यों में शील्ड विधियां हैं और जिन में ऐसी विधियां नहीं हैं, उन दोनों में ही समाचारों के संचार में कोई विशेष अंतर नहीं है[2]। इसका कारण यह हो सकता है कि इनमें से अनेक विधियां केवल विशेषित विशेषाधिकार प्रदान करती हैं[3]।

III. संयुक्त राज्य अमरीका में कुछ निर्णीत मामले

संयुक्त राज्य अमरीका में निर्णयन विधि।

6.11. समाचार देने वाले व्यक्तियों के विशेषाधिकारों के प्रश्न पर संयुक्त राज्य में निर्णीत कुछ थोड़े से मामलों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। न्यायाधीश इर्विंग कुफमेन के न्यायालय के समक्ष ब्लाक बस्टिंग विरोधी एक वाद में सेकेण्ड सर्किट के तीन न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ के एकमत निर्णय को लिखते हुए अभिनिर्धारित किया था कि सेटर्डे इवनिंग पोस्ट के एक लेखक के लिए अपना स्रोत प्रकट करना आवश्यक नहीं था यद्यपि उस स्रोत को ऐसे तथ्यों की सीधी जानकारी थी जो न्यायालय के समक्ष ब्लाक बस्टिंग विरोधी वाद के विवाद्यकों के लिए महत्वपूर्ण थे[4]। उस मुकदमें में न तो वह लेखक और न वह प्रकाशन उसका एक पक्षकार था[5]।

नवीं सर्किट ने अभिनिर्धारित किया कि ब्लैक पैंथर पार्टी के समाचारपत्र के दो कर्मचारी उस फेडरल ग्रण्ड जूरी के समक्ष जो ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति की हत्या की धमकियों और उनके अन्य संभावित आपराधिक आचरण के बारे में अन्वेषण कर रही थी, प्रकाशन से संबद्ध व्यक्तियों के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं थे[6]।

तात्विकता का अभाव (प्रथम संशोधन) लागू किया गया।

6.12. एक अन्य मामले में[7], जिसका निर्णय प्रथम संशोधन के आधार पर किया गया था, प्रेस के सदस्यों के लिए, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर बाब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन भी सम्मिलित थे, जारी किए गए सपीना रद्द कर दिए गए थे। न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि वादी ने "सपीनाओं द्वारा मांगी गई दस्तावेजों और अन्य सामग्री की तात्विकता को सिद्ध नहीं किया था", जैसा कि अपेक्षित था। इसी प्रकार एक अन्य मामले में[8], न्यायालय ने एक मेडिकल न्यूजलेटर को अपने गोपनीय स्रोत प्रगट करने का आदेश देने से इंकार कर दिया था यद्यपि उन स्रोतों के पास ऐसी जानकारी थी जो वादी के इस अभिकथन से कि ओषधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सुसंगत थी। न्यायालय का तर्क यह था कि "इसमें मांगी गई जानकारी न्यायिक संविवाद को सुलझाने के लिए सुसंगत तो है किन्तु वह उसके लिए अत्यावश्यक नहीं है।"

---

1. आगामी पैरा 6.13 (अपमान लेख संबंधी कार्यवाइयां) भी देखिए।
2. नोट "रिपोर्टर्स प्रिविलेज—गार्जियन आफ द पीपुल्स राइट टु नो" (1976) II न्यू इंगलैण्ड ला रिव्यू 405।
3. पूर्वगामी पैरा 6.9।
4. बेकर बनाम एफ एण्ड एफ इन्वेस्टमेण्ट, 170 एफ० 2रा 778 (दूसरा सर्किट 1972) प्रमाणपत्र इंकार किया गया (1973) आल यू० एस० 996।
5. होवर्ड साईमन्स एंड जोजेफ ए० केलीफोनिया जूनियर (एडि) मीडिया एंड द ला (1976), पृष्ठ 15-16।
6. बर्ड बनाम य० एस० जो होवर्ड सायन्स एंड जोजेफ ए० केलीफोनिया, जूनियर (एडि) द्वारा द मीडिया एंड ला (1976) पृष्ठ 15-16 पर उद्धृत किया गया।
7. डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी बनाम मेक० कार्ड 356 एफ सप्लीमेंट 1394, 1398 (डी० डी० सी० 1973) जो होवर्ड साइमन्स एण्ड जोजेफ, ए० कैलीफोर्निया, जूनियर (एडि०) द्वारा द मिडिया एण्ड ला (1976) पृष्ठ 15-16 पर उद्धृत किया गया।
8. देखिए होवर्ड साइमन्स एण्ड जोजेफ ए० कैलीफोर्निया, जूनियर (एडि) द मिडिया एण्ड ला (1976) पृष्ठ 15-16।

6.13. ऐसा प्रतीत होता है कि 31 अक्तूबर, 1977 को संयुक्त राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने इदाहो के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय का पुनर्विलोकन करने से इंकार कर दिया था कि किसी सिविल वाद में जब किसी रिपोर्टर को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तब वह गोपनीय स्रोत को प्रकट करने से इंकार नहीं कर सकता है[1]। 1977 का मामला।

6.14. इस प्रश्न पर कि क्या समाचार प्रकाशित करने के अधिकार और समाचार एकत्र करने के अधिकार के बीच कोई संविधानिक संबंध है, अमेरिकन सोसाइटी की बुलेटिन के एक अंक में व्यापक चर्चा हुई थी[2]। उस अंक में यह बताया गया था कि सर्वसम्मत निर्णय यह था कि "प्रकाशित करने का हमारा अधिकार तो सुरक्षित है किन्तु एकत्र करने का हमारा अधिकार सुरक्षित नहीं है"। अमेरिकन सोसायट की बुलेटिन में चर्चा।

IV. अपमानलेखीय कार्रवाइयां

6.15. अपमान लेख संबंधी वादों में संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालयों में भी (प्रथम संशोधन के आधार पर) ऐसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जिसमें— अपमान लेखीय कार्रवाईयां (प्रथम संशोधन लागू किया गया)।

(क) वादी ने यह दिखा दिया है कि इस बात को बहुत संभावना है कि प्रकटन के परिणामस्वरूप दायित्व के मुद्दे पर मंतव्यपूर्ण साक्ष्य सामने आएगा, और

(ख) वैकल्पिक स्रोत निःशेषित हो गए हैं, प्रतिवादी के गोपनीय समाचार स्रोतों के प्रकटन का आदेश देने से इंकार कर दिया है[3]। उदाहरणार्थ, आठवीं सर्किट[4] ने अभिनिर्धारित किया है कि लाइफ पत्रिका का रिपोर्टर संगठित अपराधों से एक मेयर के संबंधों के बारे में अभिकथित अपमान लेखीय वक्तव्यों के गोपनीय स्रोत को प्रगट करने के लिए बाध्य नहीं था। उपर्युक्त मामले में मेयर ने लाइफ पत्रिका पर अपमान-लेख के लिए वाद चलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पुनर्विलोकन करने से इंकार कर दिया था और आठवीं सर्किट का विनिश्चय कायम बना रहा[5-6]।

6.16. संयुक्त राज्य अमरीका में केवल एक फेडरल न्यायालय ने अपमान लेख के एक मामले में प्रतिवादी को एक गोपनीय समाचार स्रोत का नाम प्रकट करने का आदेश दिया है। वह मामला यूनाइटड माइन वर्कर्स और उसके जनरल काउन्सेल एडवर्ड केरे पर जैक एन्डर्सन कालम रिपोर्टिंग से उत्पन्न हुआ था[7]। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि वह सभी अपमान लेखीय प्रतिवादियों को लागू होने वाला कोई सामान्य नियम स्थापित नहीं कर रहा है बल्कि वह अपने विनिश्चय को अपने समक्ष, असाधारण परिस्थितियों में, प्रकटन का आदेश देने तक सीमित कर रहा है। न्यायालय ने प्रकटन का आदेश इसलिए दिया कि जिस वक्तव्य के बारे में यह अभिकथन था कि वह अपमान लेखीय स्वरूप का है वह पूर्णतः गोपनीय स्रोतों पर आधारित था और वादी के पास, इन स्रोतों की पहचान जाने बिना यह साबित करने का कोई मार्ग नहीं था कि वह झूठा है या बिना समझेबूझे किया गया है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि वह **सर्वेन्टेस वाले मामले**[8] में आठवीं सर्किट द्वारा लागू किए गए इस नियम से सहमत था कि अपमान लेख के प्रतिवादी से संविधानिक रूप से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह गोपनीय समाचार स्रोत का नाम प्रकट करे किन्तु यदि उस स्रोत से प्राप्त जानकारी अभिकथित अपमान लेखीय वक्तव्यों का एकमात्र आधार हो तो ऐसी अपेक्षा की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर कभी विचार नहीं करना पड़ा क्योंकि स्रोत ने एन्डर्सन के सहायक ब्रिट ह्यूम को गोपनीयता के उसके वचन से मुक्त कर दिया था।

---

1. ट्रिब्यून पब्लिशिंग कं० बनाम काल्कारोक (31 अक्तूबर, 1977) जो सोबेल (एडि०) द्वारा, मीडिया कन्ट्रोवर्सी (फैक्टस आन फाइल 1981) पृष्ठ 10 पर उद्धृत किया गया।
2. अमेरिकन सोसाइटी की बुलेटिन का दिसम्बर-जनवरी, 1978 वाला अंक देखिए। चर्चा का सारांश सोबेल (एडि०), मीडिया कन्ट्रोवर्सी (फैक्ट्स आन फाइल 1981), पृष्ठ 12 पर दिया गया है।
3. पूर्वगामी पैरा 6.9 भी देखिए।
4. सर्वेंटस बनाम टाइम इंका० 464 एफ० दूसरी 936 (आठवीं सर्किट 1972), प्रमाणपत्र इंकार किया गया, (1973) 409 यू० एस० 1125।
5. हावर्ड साइमन्स और जोजेफ ए० कैलीफोर्निया, जूनि० (एडि०), द मीडिया एण्ड द ला (1976), पृ० 19
6. अन्य बातों के लिए देखिए "सोर्स प्रोटेक्शन इन लिबेल सूट्स आफटर हर्बर्ट वर्सेज लैण्डो (मार्च 1981), 81 कोलम्बिया ला रिव्यू, पृष्ठ 338-369.
7. केरे बनाम ...., 492 एफ० दूसरी 631 (डी० सी० सर्कि० 1974) प्रमाणपत्र इंकार किया गया ..... आल यू० एस० 833 (1974)।
8. सर्वेन्टेस बनाम टाइम इंका० 464 एफ० एडि० 986 (आठवीं सर्किट 1972), प्रमाणपत्र इंकार किया गया, (1973) 409 यू० एस० 1125 (पूर्वगामी पैरा 6.15)

V. संयुक्त राज्य अमरीका में हाल में हुई उद्‌घटनाएं

हाल में हुई उद्‌घटनाएं — कैलीफोर्निया।

6.17. संयुक्त राज्य में इस विचाराधीन विषय पर हाल ही में कुछ उल्लेखनीय उद्‌घटनाएं हुई हैं। कैलीफोर्निया के मतदाताओं द्वारा अपनाई गई एक विधि जिसमें रिपोर्टरों को अपने स्रोत न बताने की अनुमति दी गई थी, एक वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी कि इससे उचित विचारण के संवैधानिक अधिकार के साथ असमर्थनीय संघर्ष उत्पन्न होता है। विवाद्यक का संबंध सी० बी० एस० न्यूज प्रोग्राम "60 मिनट" के लिए माइक वैलेस द्वारा किए गए साक्षात्कार से "आउट टैक्स" या अप्रयुक्त फिल्मों से था। साक्षात्कार का विषय वैरी ब्रेसेके था जो अब 25 वर्ष का है और जो प्रथम डिग्री हत्या के लिए सिद्धदोष किया गया था। न्यायाधीश स्टैनलैकोल्ड ने अभिनिर्धारित किया कि "शील्ड विधि" प्रथम संशोधन द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार है जिस पर छठे संशोधन द्वारा प्रदत्त अभियुक्त के लिए उचित विचारण की गारंटी अभिभावी होगी[1-2]।

फारबर केस—नई उद्‌घाटनाएं (न्यू जर्सी)।

6.18. एक अन्य हाल की उद्‌घटना, जो उल्लेखनीय है, विख्यात फारबर केस के संबंध में है जो 1978 में न्यू जर्सी में हुआ था। उस केस का संबंध "डा० एक्स" की हत्या के लिए विचारण से था। विचारण में एक सर्जन पर अस्पताल के पांच रोगियों को क्यूरारे का इंजेक्शन देकर हत्या का अभियोग लगाया गया था। जब विचारण के दौरान न्यूयार्क टाइम्स और उसके रिपोर्टर ने रिपोर्टर के नोट सौंपने से इंकार किया तो एम० ए० फारबर नामक एक पत्रकार को दाण्डिक शास्तियां भोगनी पड़ी। फारबर को 40 दिन जेल में बिताने पड़े और न्यूयार्क टाइम्स को न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन करने के कारण 2,85,000 डालर का जुर्माना देना पड़ा कि फारबर अपने समाचार के लिए अपने सभी नोट प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध करे और अपने गोपनीय स्रोतों को प्रकट करे।

गवर्नर द्वारा क्षमादान।

6.19. न्यू जर्सी के गवर्नर ब्रेनडान बाइर्ने ने अपनी पदावधि के अंतिम दिन 19 जनवरी, 1982 को दाण्डिक शास्तियों को रद्द कर दिया और क्षमादान प्रदान किया। गवर्नर ने न्यूजर्सी की शील्ड विधि में 1980 में किए गए परिवर्तनों का उल्लेख किया जिनमें यह अपेक्षित था कि रिपोर्टर को अपने स्रोत प्रकट करने के लिए विवश करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। "फारबर और न्यूयार्क टाइम्स एक ऐसे सिद्धान्त का समर्थन करने का प्रयास कर रहे थे जिसमें उनका विश्वास था। उन पर आपराधिक मानहानि के अपराध का भार नहीं डाला जाना चाहिए"। गवर्नर बाइर्ने ने यही बातें कही थी[3]।

VI. संयुक्त राज्य अमरीका में आदर्श संविदा

संयुक्त राज्य अमरीका में आदर्श संविदा।

6.20. संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में एक विशिष्ट बात ध्यान देने योग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका में न्यूजपेपर गिल्ड द्वारा विकसित आदर्श संविदा[4] में "प्रकटन और अधिप्रमाणन के विरुद्ध विशेषाधिकार" से संबंधित एक खण्ड है। यह विशेषाधिकार 1970 में लागू किया गया प्रतीत होता है और इसमें नियोजकों द्वारा रिपोर्टरों (संवाददाताओं) और उनके स्रोतों के प्रकटन के संबंध में संरक्षण की एक निश्चित नीति प्रतिलक्षित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस खण्ड का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को नियोजक द्वारा पूरी वित्तीय और विधिक सहायता दिलाना है। आदर्श संविदा खण्ड के उपबंधों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि इसमें निम्नलिखित प्रतिपादनाएं समाविष्ट हैं[4] :—

प्र० 1—कोई भी कर्मचारी ऐसे ज्ञान, जानकारी, नोटों, अभिलेखों, दस्तावेजों, फिल्मों, फोटो या टेपों को सौंपने से या उनका स्रोत प्रकट करने से इंकार कर सकेगा जिनका संबंध समाचार, समीक्षा, विज्ञापन अथवा स्थापन और अपने नियोजन के संबंध में अपने स्रोत बनाए रखने से है, तथा ऐसा करने के लिए उस पर न तो कोई शास्ति अधिरोपित की जाएगी और न उस पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

---

1. रिपोर्ट, "कैलीफोर्नियाज क्लोजर ला अपहेल्ड शील्ड ला ओवर रूल्ड (23 जनवरी, 1982) सम्पादक और प्रकाशक पृष्ठ 16।
2. अपील के रूप में बाद में हुई उद्‌घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
3. (23 जनवरी, 1982), एडिटर एण्ड पब्लिशर, पृष्ठ 6।
4. द न्यूजपेपर गिल्ड, "यू० एस० माडल कान्ट्रैक्ट" दिसम्बर 1, 1975 जिसे पेल एल० बादयिस कृत "कैन प्रिविलेज बी वारटेन्ड" (ग्रीष्म 1980) जर्नलिज्म क्वार्टर्ली, 205, 206, 207 में उद्‌धृत किया गया।

प्र० 2—कोई भी कर्मचारी, किसी शास्ति या प्रतिकूल प्रभाव के बिना, किसी सामग्री का अधिप्रमाणन करने से इंकार भी कर सकेगा ।

प्र० 3—नियोजक उपर्युक्त किसी सामग्री की अभिरक्षा या उसका प्रकटन, कर्मचारी की सम्मति के बिना नहीं करेगा ।

प्र० 4—नियोजक, संबंधित कर्मचारी को और गिल्ड को ऐसे अभ्यर्पण या प्रकटन या अधिप्रमाणन के लिए उससे की गई किसी मांग की सूचना देगा ।

प्र० 5—यदि कर्मचारी पर, ऐसा अभ्यर्पण, प्रकटन या अधिप्रमाणन करने से इंकार करने के कारण, विधि के अधीन कार्यवाही की जाती है तो नियोजक ऐसी कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में सम्मिलित होने के लिए समावेदन करेगा;

प्र० 6—(नियोजक), कर्मचारी द्वारा उपगत सभी व्ययों की पूर्ति करेगा जिसमें कर्मचारी द्वारा प्रतिधारित विधिक काउन्सेल की फीस और खर्चे भी सम्मिलित हैं;

प्र० 7—और (नियोजक) ऐसे कर्मचारी की किसी धनीय हानि के लिए प्रतिपूर्ति करेगा । ऐसी धनीय हानि में जुर्माने, नुकसानी या वेतन की हानि भी सम्मिलित है किन्तु वह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं हैं ।

प्र० 8—किसी भी स्थिति में कोई कर्मचारी अभ्यर्पण या प्रकटन या अधिप्रमाणन करने से अपने इंकार के परिणामस्वरूप, इस संविदा के अधीन मजदूरी, कर्मचारी प्रास्थिति या फायदों से वंचित नहीं होगा ।

VII. न्याय विभाग का निदेश

6.21. यह भी उल्लेखनीय है कि 1971 में न्याय विभाग ने[1], जो उस समय अटर्नी जनरल जान मिचेल के अधीन था, मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए थे जिनका यदि अनुसरण किया जाए तो रिपोर्टरों को सपीना करने की, चाहे गोपनीय स्रोतों का प्रश्न हो या न हो, अमरीकी अटर्नियों की शक्ति काफी निर्बंधित हो जाएगी । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन कोई भी अमरीकी अटर्नी किसी भी रिपोर्टर को तब तक सपीना नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने उस परिसाक्ष्य के, जो वह चाहता है, सभी संभव स्रोतों को निःशेषित न कर दिया हो । ऐसी परिस्थितियों में भी, अमरीकी अटर्नी को उस रिपोर्टर को सपीना करने से पूर्व अटर्नी जनरल की स्पष्ट अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में मिश्रित स्वरूप का अनुभव हुआ है । यह कहा जाता है कि वर्ष 1974 तक ऐसे कुछ सरकारी अटर्नी थे जिन्हें इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की जानकारी तक नहीं थी । फिर भी, ये मार्गदर्शक सिद्धांत न्याय विभाग के सिद्धांत और नीति के औपचारिक कथन के रूप में विद्यमान हैं[2] । न्याय विभाग का निदेश ।

VIII. मत संग्रह

6.22. एक वर्ष 1979 में संयुक्त राज्य में 12000 वयस्कों के एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिक समूह में एक सर्वेक्षण किया गया था । ए० बी० सी० न्यूज-हैरिस सर्वे के अधीन 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक उन वयस्कों से टेलीफोन पर भेंटवार्ता की गई थी[3]। उत्तर देने वाले अधिकतर व्यक्ति यह समझते थे कि यदि कोई न्यायालय यह समझता है कि उचित विचारण के लिए यह आवश्यक है तो उसे ऐसी जानकारी का बलात् प्रकटन कराने की अनुज्ञा देने की बजाए रिपोर्टर के अप्रकाशित नोट और स्रोतों की गोपनीयता का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है । उन व्यक्तियों के सामने दो प्रकाशित निर्णयों पर सारतः आधारित दो मामले रखे गए थे । उनके सामने रखा गया पहला मामला यह था कि : "एक विचारण में अभिसाक्ष्य देने वाला एक समाचारपत्र संवाददाता उस व्यक्ति का नाम बताने से इंकार करता है जिसने उसे सूचना दी थी । वह संवाददाता कहता है कि उसने उस व्यक्ति को यह वचन दिया था कि वह उसका नाम कभी प्रकट नहीं करेगा और यह कि यदि वह 1979 का मत संग्रह ।

1. 28 सी० एफ० आर० 50.10 (1974) ।
2. होवर्ड और जोजेफ ए० कैलीफोर्निया, जूनि० (एडि०) द मीडिया एण्ड द ला (1976) पृष्ठ 1.17 ।
3. एडिटर और रिपोर्टर (21 अप्रैल 1979), पृष्ठ 13 पर मत सर्वेक्षण का सारांश देखिए ।

अपना वचन भंग करता है तो यह संभव है कि अन्य स्त्रोत अन्य संवाददाताओं को भविष्य में महत्वपूर्ण सूचना न दें और तब अमरीकी लोग उस जानकारी को जानने के अपने अधिकार से कपट वंचित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वह संवाददाता कहता है कि इससे प्रैस स्वातंत्र है उसके संविधानिक अधिकार का अतिलंघन होता है। जिस अटर्नी ने नाम पूछा था, वह कहता है कि उस व्यक्ति के, जिसने वह सूचना संवाददाता को दी है, परिसाक्ष्य के बिना विचारण निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि उसकी सूचना महत्वपूर्ण है और किसी अन्य व्यक्ति के पास वह सारी जानकारी नहीं है जो संवाददाता के स्रोत के पास है। अब आप निर्णायक हैं। आप उस संवाददाता को यह आदेश देंगे या नहीं कि वह अपने स्रोत का नाम बताए।"

21 प्रतिशत के विरुद्ध 70 प्रतिशत अमरीकियों का मत था कि वे उस रिपोर्टर (संवाददाता) को अपने स्रोत का नाम प्रकट करने का आदेश नहीं देंगे। उपर्युक्त सर्वेक्षण द्वारा लोगों की जो राय मालूम हुई थी वह यही थी।

अध्याय 7

विचारार्थ मुद्दे

7.1. यदि यह मान लें कि उपयुक्त विधान द्वारा विचाराधीन विषय में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो विवरण और कठिनाई के अनेक प्रश्न उत्पन्न होंगे जिन पर विचार करना होगा । इन प्रश्नों का संबंध निम्नलिखित के विषय में प्रदत्त किए जाने वाले संरक्षण की गुणवत्ता और उसकी सीमा से है, अर्थात् (क) पत्रकारिक विशेषाधिकार शीर्ष के अधीन संरक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों के वर्ग, (ख) इस प्रकार संरक्षित किए जाने वाले प्रकाशनों के वर्ग, (ग) सामग्री-वर्ग जिन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, (घ) प्रस्तावित संरक्षण के अंतर्गत रखी जाने वाली कार्यवाहियों के प्रकार, और (ङ) संरक्षण किसी व्यक्तिवर्ग के विशेषाधिकार के रूप में होना चाहिए या उसमें न्यायालय को भी कुछ विवेकाधिकार होना चाहिए । विचारार्थ मुद्दे उस कार्य-पत्र में लिख दिए गए थे जो आयोग ने इस विषय पर परिचालित किया है[1] ।

विवरण की बातें जिन पर विचार करने की आवश्यकता है—व्यक्तिवर्ग जिन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए ।

प्रथम प्रश्न उन व्यक्तिवर्गों के संबंध में उठता है जिन्हें प्रस्तावित संरक्षण प्राप्त करने का हक होना चाहिए । क्या प्रस्तावित संरक्षण केवल वृत्तिक पत्रकारों के लिए होना चाहिए या वह अंश-कालिक लेखकों और प्रकाशन से संबद्ध अन्य व्यक्तियों को भी, उस समय जब वे जानकारी इकट्ठी कर रहे हों या उसके बारे में कार्यवाही कर रहे हों, प्राप्त होना चाहिए ? इस प्रकार दो अनुकल्प हैं । इनमें से पहला अनुकल्प दोनों में से अपेक्षाकृत संकीर्ण अनुकल्प होगा । संकीर्ण दृष्टिकोण, जिसमें संरक्षण वृत्तिक पत्रकार तक सीमित होगा, के पक्ष में यह तर्क है कि पत्रकारों का वृत्तिक निकाय और प्रेस परिषद् अपेक्षित मानकों को प्रवृत्त करने में सहायता कर सकती है । किन्तु संरक्षण को इस प्रकार सीमित करने का प्रभाव यह होगा कि ऐसे व्यक्ति उसकी परिधि से बाहर हो जाएंगे जो यदाकदा स्वयं पत्रकारिता के काम में लग जाते हैं और पत्रकारिता जिनका नियमित व्यवसाय नहीं है । जैसा कि संयुक्त राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त किया है, "उस अकेले पैम्फलेटियर को भी जो कार्बन पेपर या अनुलिपित्र का प्रयोग करता है, संरक्षण का वही अधिकार प्राप्त होगा जो अपेक्षाकृत बड़े महानगरीय प्रकाशक को प्राप्त है"[2] । इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि संरक्षण को कारगर होना है तो उसके अंतर्गत संपादक और ऐसे वरिष्ठ प्रबंध कार्मिक भी रखने होंगे जिन्हें सूचना दी जाती है और यह संरक्षण उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होना चाहिए जो संवाद-दाता के साथ जाते हैं जैसे कि कैमरामैन. ।

7.2. दूसरी बात यह है कि उन प्रकाशन-वर्गों के संबंध में जिन्हें प्रस्तावित संरक्षण का हक प्राप्त होना चाहिए, प्रश्न यह उठता है कि क्या संरक्षण :—

प्रकाशन-वर्ग जिन पर संरक्षण के लिए विचार किया जाना चाहिए ।

(i) केवल समाचारपत्रों को मिलना चाहिए, या

(ii) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को भी मिलना चाहिए, या

(iii) रेडियो और दूरदर्शन केन्द्रों को भी मिलना चाहिए, या

(iv) व्यापकतम स्वरूप का होना चाहिए जिसके अन्तर्गत जनता की संसूचना का कोई भी माध्यम आ जाए ।

ऊपर जिन चार अनुकल्पों का उल्लेख किया गया है उनमें से पहले अनुकल्प सबसे अधिक संकीर्ण है जब कि अंतिम अनुकल्प सबसे अधिक व्यापक है ।

7.3. तीसरी बात यह है कि संरक्षित की जाने वाली सामग्री के संबंध में प्रश्न यह उठता है कि क्या संरक्षण :—

सामग्री-वर्ग जिन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ।

(i) पत्रकार द्वारा प्राप्त की गई सूचना के स्रोत तक सीमित होना चाहिए ; या

(ii) पत्रकार द्वारा विश्वास के आधार पर प्राप्त की गई सभी सूचना को लागू होना चाहिए ?

---

1. तारीख 19 फरवरी, 1983 का कार्यपत्र ।
2. ब्रंजबर्ग बनाम हेज (1972) 408 यू० एस० 665; एस० सी० टी० 2646; 33 ला एडि० दूसरा 625 ।

जहां तक पहले अनुकल्प का संबंध है, उसके समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि कि संरक्षण का लक्ष्य सूचना के प्रसार को बढ़ाना है। प्रस्तावित विधान का संबंध अप्रकाशित सू नहीं होना चाहिए। किंतु दूसरे अनुकल्प के अनुसार विस्तारित संरक्षण का औचित्य इस आधा बताया जा सकता है कि ऐसी पृष्ठभूमि सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता है जो स्वयं प्रकाशन आशयित नहीं होती है किन्तु जो प्रकाशित की जाने वाली सूचना की यथार्थता को सत्यापित करने आवश्यक है।

ऐसी कार्यवाहियों के प्रकार जिन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

7.4. चौथी बात यह है कि ऐसे प्रकार की कार्यवाहियों के संबंध में जिन्हें वह विशेषाधिकार, चर्चा हो रही है, दिया जाना चाहिए, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावित विशेषाधिकार—

(i) सिविल कार्यवाहियों तक सीमित होना चाहिए; या

(ii) ऐसी सभी कार्यवाहियों को लागू होना चाहिए जिनके अनुक्रम में साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है ; या

(iii) कुछ विशेष प्रकार की कार्यवाहियों, जैसे कि प्रकाशकों के विरुद्ध मानहानि की कार्यवा दाण्डिक कार्यवाहियों या जांच आयोग के समक्ष की कार्यवाहियों, के संबंध में अप होना चाहिए।

विशेषाधिकार या विवेकाधिकार।

7.5. प्रदत्त किए जाने वाले विशेषाधिकार की प्रास्थिति का (यदि कोई है) जहां तक संब अनुकल्पों पर विचार किया जा सकता है—

(i) क्या विशेषाधिकार (यदि अनुज्ञात किया जाता है) आत्यंतिक होना चाहिए; या

(ii) क्या उस न्यायालय (या अन्य निकाय) को जिसके समक्ष विशेषाधिकार का दावा जाता है, उस प्रार्थना को मंजूर करने या उसे नामंजूर करने का विवेकाधिकार चाहिए ?

(iii) यदि ऐसा विवेकाधिकार दिया जाना है तो उसके प्रयोग के लिए क्या मानदण्ड होना चाहि

अनुकल्प (i) सरल होगा किन्तु उसमें लचीलापन नहीं होगा। अनुकल्प (ii) के संबंध में यह जा सकता है कि वहां मामले के आधार पर विशेषाधिकार मंजूर या नामंजूर करने का विवेकाधि दिया जाता है वहां न्यायालय न्याय के हितों और जांच के उद्देश्य की कारगर पूर्ति के विरुद्ध स्रोत गोपनीयता की संरक्षा की आवश्यकता को संतुलित कर सकता है।

विशेषाधिकार का अधित्यजन।

7.6. अन्ततः, प्रश्न यह उठता है कि क्या विशेषाधिकार के अधित्यजन की अनुज्ञा दी चाहिए। इस संबंध में जो प्रश्न उठ सकते हैं वे विस्तारपूर्वक इस प्रकार हैं :

(क) क्या विशेषाधिकार ऐसा होना चाहिए कि उसका अधित्यजन किया जा सके ?

(ख) यदि हां, तो उसका अधित्यजन कौन कर सकता है—

(i) पत्रकार, या

(ii) पत्रकार का नियोजक, या

(iii) सूचनादाता ?

राय आमंत्रित की गई।

7.7. इस विशेषाधिकार के विषय से सुसंगत महत्वपूर्ण मुद्दे कार्य-पत्र में लिख दिए गए थे जि अनुकल्पों का उल्लेख करने के बाद चर्चा का इस प्रकार समापन किया गया था :—

"मोटे तौर पर प्रश्न यह है कि—किन परिस्थितियों में, यदि कोई हैं, पत्रकारों को न्यायालय में अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में अपनी सूचना का स्रोत प्रकट करने से इंकार करने का अधिकार जाना चाहिए ? जैसा कि ऊपर विस्तारपूर्वक बताया गया है, इस प्रश्न से अनेक ब्यौरे की बातें उ होती हैं जो निम्नलिखित हैं :

1. विशेषाधिकार के प्रयोजन के लिए, "पत्रकार" पद में किसे सम्मिलित किया जाना चाहिए

2. विशेषाधिकार के प्रविषय के अन्तर्गत कौन से माध्यम आने चाहिए?[2]

---

1. इस विषय पर विस्तारपूर्वक प्रश्नों के लिए पूर्वगामी पैरा 7.1 देखिए।

2. विस्तारपूर्वक प्रश्नों के लिए पूर्वगामी पैरा 7.2 देखिए।

3. (क) इस दृष्टि से कि स्रोत को विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्या सूचना प्रकाशित होनी चाहिए अथवा चाहे वह सामग्री कभी भी मुद्रित, प्रसारित या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित न हो फिर भी उसे विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए ?

(ख) क्या विशेषाधिकार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान से ही संबद्ध होना चाहिए अथवा उसका विस्तार उस सूचना पर भी होना चाहिए जिस पर प्रकाशित सामग्री आधारित है?[1]

4. क्या विशेषाधिकार सभी न्यायालय कार्यवाहियों, सिविल या दाण्डिक, को लागू होना चाहिए और यदि नहीं तो वह किन कार्यवाहियों तक सीमित होना चाहिए?[2]

5. यदि विशेषाधिकार अनुज्ञात किया जाता है तो क्या वह आत्यंतिक होना चाहिए अथवा न्यायालयों (या अन्य समुचित निकायों) को विशेषाधिकार के दावों को मंजूर या नामंजूर करने का विवेकाधिकार होना चाहिए ।[3]

6. यदि कोई विशेषाधिकार अधिनियमित किया जाता है तो उसका अधित्यजन करने के लिए कौन सक्षम होना चाहिए ?[4]

---

1. विस्तारपूर्वक प्रश्नों के लिए पूर्वगामी पैरा 7.3 देखिए।
2. विस्तारपूर्वक प्रश्नों के लिए पूर्वगामी पैरा 7.4 देखिए ।
3. विस्तारपूर्वक प्रश्नों के लिए पूर्वगामी पैरा 7.5 देखिए ।
4. विस्तारपूर्वक प्रश्नों के लिए पूर्वगामी पैरा 7.6 देखिए ।

अध्याय 8

कार्यपत्र पर प्राप्त टिप्पणियां

कार्यपत्र पर टिप्पणियां। सामान्य वर्णन और प्रथम प्रश्न पर विचार।

8.1. विचाराधीन विषय पर तैयार किया गया कार्य पत्र, हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों को जिनमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस से संबद्ध अनेक संगठन, यथा भारतीय प्रेस परिषद् और उसके सदस्य, राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय और बार एसोसिएशन भी सम्मिलित हैं, आयोग द्वारा फरवरी 1983 में परिचालित किया गया था। यह अनुरोध भी किया गया था कि उसके संबंध में टिप्पणियां 15 अप्रैल, 1983 तक भेज दी जाएं। आयोग के विचारों को अंतिम रूप देने से पूर्व उन सभी टिप्पणियों पर विचार किया गया जो 4 सितम्बर, 1983 तक प्राप्त हुई थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य पत्र में उठाए गए लगभग प्रत्येक प्रश्न के संबंध में अत्यन्त मूल्यवान विचार स्टेट्समैन के श्री एस० सहाय द्वारा एक लेख में व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने उस लेख में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार भी दिया है जो कार्य-पत्र में अंतर्विष्ट हैं। इस विषय में श्री सहाय ने जो रुचि दिखाई है, आयोग उसकी सराहना करता है[1] और वह उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है जिन्होंने कार्य पत्र पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं :

जहां तक कार्य पत्र के विषय में प्राप्त टिप्पणियों का संबंध है, निम्नलिखित से उत्तर प्राप्त हुए हैं :

(क) छह उच्च न्यायालय[2]।

(ख) एक उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जिन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है, अपने व्यक्तिगत विचार संसूचित किए हैं[3]।

(ग) एक संसद् सदस्य[4], और

(घ) एक बार एसोसिएशन[5]।

उपर्युक्त (कुल छह) उच्च न्यायालयों से प्राप्त उत्तरों के संदर्भ में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि केवल एक उच्च न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त किए हैं[6]।

तीन उच्च न्यायालयों ने नकारात्मक उत्तर भेजे हैं, अर्थात् उन्होंने यह कहा है कि उच्च न्यायालयों को अपने कोई विचार प्रकट नहीं करने हैं[7] अथवा यह कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के इच्छुक नहीं हैं[8]।

दो अन्य उच्च न्यायालयों में, प्रत्येक उच्च न्यायालय के केवल छह न्यायाधीशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और वह प्रतिक्रिया यह है कि उन छह न्यायाधीशों को "कोई टिप्पणी नहीं करनी हैं"[9] या यह कि वे कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहते हैं[10] (इन दो उच्च न्यायालयों के शेष न्यायाधीशों ने अपने विचार या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है)।

आइए अब प्रश्नवार व्यक्त किए गए विचारों को देखें। कार्य पत्र में उठाया गया पहला प्रश्न यह था कि क्या पत्रकारों द्वारा प्रकटन के संबंध में प्रस्तावित विशेषाधिकार केवल वृत्तिक पत्रकारों तक सीमित होना चाहिए। या वह अन्य व्यक्तियों को भी लागू होना चाहिए। इस रूप में प्रश्न पूछते समय आयोग ने "श्रमजीवी" और "अ-श्रमजीवी" पत्रकारों के बीच के अंतर

1. स्टेट्समैन, दिनांक 7 अप्रैल, 1983 में प्रकाशित श्री सहाय का लेख।
2. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83 एल० सी० क्रम सं० 11, 13, 14, 18 और 20।
3. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83 एल० सी० क्रम सं० 12।
4. विधि आयोग फाइल सं० 2(2)/83-एल० सी० तथा क्रम सं० 10 (श्री एडवर्डो फहारिस, संसद् सदस्य, गोवा)।
5. बार एसोसिएशन, मणिपुर, इम्फाल विधि आयोग फाइल सं० 2(2), 83-एल० सी० क्रम सं० 17।
6. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83, एल० सी० क्रम सं० 11।
7. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83-एल० सी० क्रम सं० 11 और 20।
8. विधि आ ोग फाइल सं० एफ 2(2)/83-एल० सी० क्रम सं० 18 और 20।
9. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83-एल० सी० क्रम सं० 13।
10. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83-एल० सी० क्रम सं० 19।

की कोटियों पर या सम्पादकीय और गैर-सम्पादकीय कर्मचारिवृन्द के बीच किसी भेद पर ध्यान नहीं दिया था। आयोग इस बारे में विचार जानना चाहता था कि क्या एक ऐसे व्यक्ति के जिसने वृत्ति के रूप में पत्रकारिता को अपनाया है और (दूसरी ओर) "पुस्तिकाएं लिखने वाले उस अकेले व्यक्ति के", जो कार्बन पेपर या अनुलिपित्र का प्रयोग करता है, बीच कोई अंतर करने की कोई आवश्यकता है।

इस प्रश्न पर स्टेट्समैन के श्री सहाय द्वारा व्यक्त विचारों[1] के अनुसार, इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि विशेषाधिकार का दावा लोक हित की पूर्ति के आधार पर किया जाता है इसलिए उसे जानने का जनता का अधिकार केवल पत्रकारों तक सीमित नहीं किया जा सकता है :

एक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार का उत्तर (उनका व्यक्तिगत विचार) यह है कि संरक्षण केवल वृत्तिक पत्रकारों को नहीं अपितु अंशकालिक लेखकों और प्रकाशन से संबद्ध अन्य व्यक्तियों को भी, जब वे जानकारी इकट्ठी कर रहे हों या उसके संबंध में कार्यवाही कर रहे हों, प्रदान किया जाना चाहिए[2]। उनके अनुसार संरक्षण की परिधि में संपादक और अन्य वरिष्ठ कार्मिक जिन्हें सूचना दी जाती है तथा संवाददाता के साथ जाने वाले व्यक्ति, जैसे कि कैमरामैन, आते हैं।

8.2. कार्यपत्र में पूछे गए दूसरे प्रश्न का संबंध संचार माध्यम की उन कोटियों से है जिनको यह संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। क्या प्रस्तावित संरक्षण दैनिक समाचारपत्रों तक सीमित होना चाहिए अथवा यह इतना व्यापक होना चाहिए कि इसकी परिधि के अंतर्गत पत्रिकाएं भी आ जाएं या यह इससे भी अधिक व्यापक स्वरूप का होना चाहिए जिससे कि संपूर्ण संचार माध्यम इसके अंतर्गत आ जाए? दूसरे प्रश्न पर प्राप्त टिप्पणियां।

श्री सहाय द्वारा अपने लेख में व्यक्त विचारों के अनुसार "उपबंध की शब्द रचना यथासंभव व्यापकतम होनी चाहिए जिससे कि उसकी परिधि के अंतर्गत सभी संचार-माध्यम समाचारपत्र, पत्रिकाएं और इलेक्ट्रानिक माध्यम आ जाएं यद्यपि इनमें से अंतिम माध्यम (इलेक्ट्रानिक माध्यम) राज्याधीन होने के कारण इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह ऐसी कोई चीज प्रकाशित करेगा जो किसी भी व्यक्ति के लिए उलझन में डालने वाली हो"[3]।

एक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा व्यक्त विचार (उनके व्यक्तिगत विचार) के अनुसार संरक्षण का स्वरूप व्यापकतम होना चाहिए जिससे कि जनता के लिए संचार का कोई भी माध्यम अर्थात् समाचारपत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और दूरदर्शन केन्द्र आदि उसकी परिधि के अंतर्गत आ जाएं[4]।

8.3. कार्यपत्र में पूछा गया तीसरा प्रश्न संरक्षित की जाने वाली सामग्री से संबद्ध है। क्या संरक्षण केवल उस सामग्री तक सीमित होना चाहिए जो वस्तुतः प्रकाशित हो चुकी है अथवा क्या उसका विस्तार सभी प्रकार की सूचना पर, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित, होना चाहिए? तीसरे प्रश्न पर प्राप्त टिप्पणियां।

एक उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि पत्रकार से उसकी जानकारी के स्रोत प्रकट करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए[5]।

एक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार का विचार (व्यक्तिगत विचार) है कि संरक्षण सभी जानकारी (न केवल जानकारी के स्रोत) को जो पत्रकार ने विश्वास के आधार पर प्राप्त की है, लागू होना चाहिए[4]।

मणिपुर बार एसोसिएशन ने यह विचार व्यक्त किया है कि उन पत्रकारों को जिनसे (सूचनादाता की) स्रोत पहचान या अन्य गोपनीय संसूचनाएं प्रकट करने के लिए तब तक नहीं कहा जाना चाहिए जब तक कि ऐसा प्रकटन "न्याय और लोकहित" के लिए आवश्यक न हो, विशेषित विशेषाधिकार प्रदत्त किया जाना चाहिए[6]।

---

1. स्टेट्समैन (7 अप्रैल, 1983) में प्रकाशित श्री सहाय का लेख।
2. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/ 83-एल० सी० क्रम सं० 2।
3. स्टेट्समैन (7 अप्रैल, 1983) में प्रकाशित श्री सहाय का लेख।
4. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/ 83-एल० सी० क्रम सं० 12।
5. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/ 83-एल०सी० क्रम सं० 14।
6. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/ 83-एल० सी० क्रम सं० 17।

चौथे प्रश्न पर प्राप्त टिप्पणियां ।

8.4. कार्यपत्र में पूछे गए चौथे प्रश्न में इस बारे में विचार आमंत्रित किए गए थे कि क्या प्रस्तावित संरक्षण सभी न्यायालय कार्यवाहियों (सिविल और दाण्डिक) को लागू होना चाहिए, और यदि नहीं तो वह किन कार्यवाहियों तक सीमित होना चाहिए । श्री सहाय के लेख में "चौथा प्रश्न" का उल्लेख करने के पश्चात् कुछ बातें कही गई हैं किन्तु वास्तव में इन बातों का संबंध पांचवें प्रश्न से है और उनकी चर्चा उस प्रश्न के प्रसंग में की जाएगी ।

एक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के विचार (व्यक्तिगत विचार) के अनुसार विशेषाधिकार का विस्तार प्रकाशकों के विरुद्ध मानहानि की कार्रवाइयों और जांच आयोगों के समक्ष कार्यवाहियों को छोड़कर उन कार्यवाहियों पर होना चाहिए जिनके अनुक्रम में साक्ष्य विधितः शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है[1] ।"

पांचवें प्रश्न पर प्राप्त टिप्पणियां ।

8.5. कार्यपत्र के पांचवे प्रश्न में इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार आमंत्रित किए गए थे कि क्या ऐसा कोई विशेषाधिकार होना चाहिए जो आत्यंतिक हो अथवा इस विषय में न्यायाधीश को विवेकाधिकार प्राप्त होना चाहिए । स्टेट्समैन में अपने लेख में श्री सहाय ने (अपने सामान्य विचारों के प्रारम्भिक भाग में) निम्नलिखित रूप में कहा है :—

"यह बात तुरन्त मान ली जानी चाहिए कि कोई भी अधिकार न तो आत्यंतिक है और न वह ऐसा हो सकता है तथा यह कि दो परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच जब तक कि उन दोनों में समन्वय स्थापित न किया जा सके, समाज को यह विनिश्चय करना होगा कि उनमें से कौन सा अधिकार अभिभावी होना चाहिए ।"[2]

लेख के अन्तिम भाग में, इस विनिर्दिष्ट प्रश्न की चर्चा करते हुए कि क्या विशेषाधिकार आत्यंतिक होना चाहिए अथवा क्या न्यायाधीश को विवेकाधिकार प्राप्त होना चाहिए, श्री सहाय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं :

"यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी अधिकार आत्यंतिक नहीं है और इसीलिए पत्रकारों का गोपनीयता का अधिकार भी आत्यंतिक नहीं होना चाहिए । ऐसे मामलों में जिनमें समाज का हित पत्रकारों के अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, न्यायालय प्रकटन के लिए विवश कर सकेगा, किन्तु एसा बन्द कमरे में किया जाना चाहिए तथा प्रकटन के लिए विवश करने का अधिकार केवल उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को होना चाहिए । इस पर भी कुछ पत्रकार सूचना को रोक रखना चाह सकते हैं किन्तु यदि उनका विश्वास इतना दृढ़ है तो उन्हें उसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए[2] ।"

श्री एडुआर्डो फलीरो, संसद् सदस्य, गोवा आत्यंतिक छूट के पक्ष में नहीं है । "सूचना के स्रोतों की गोपनीयता के सिद्धान्त को मान्यता दी जा सकती है किन्तु इस सिद्धान्त का अपवाद भी होना चाहिए जिसमें लोकहित तथा न्याय के संवर्धन और उसको अग्रसर करने की बातें अन्तर्वलित हों ।"[3]

एक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार का यह विचार (व्यक्तिगत विचार) है कि न्यायालय को अनुरोध मंजूर या नामंजूर करने का विवेकाधिकार होना चाहिए ।

"जब तक न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह स्थापित न हो जाए कि प्रकटन, न्याय या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा अव्यवस्था या अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है, तब तक कोई भी न्यायालय किसी पत्रकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकेगा कि वह प्रकाशन में अन्तर्विष्ट सूचना का स्रोत प्रकट करें[1] ।"

---

1. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/ 83-एल० सी० क्रम सं० 12 ।
2. बी० सहाय, स्टेट्समैन (7 अप्रैल, 1983) ।
3. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(3) 85 एल० सी० क्रम सं० 10 ।

मणिपुर बार एसोसिएशन, जिला और सत्र न्यायालय कम्पाउंड इम्फाल के विचार इन शब्दों में संसूचित किए गए हैं[1] :—

"जिस प्रकार से विधि व्यवसायियों को यह कानूनी विशेषाधिकार दिया गया है कि वे यह बात प्रकट न करें कि उनके मुवक्किलों ने उन्हें गोपनीय रूप से क्या सौंपा है, उसी प्रकार से एक वृत्तिक वर्ग के रूप में पत्रकारों को उपर्युक्त विधान द्वारा कुछ विशेषित विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। पत्रकारों को अपनी सूचना का स्रोत या उनके सूचनादाताओं की पहचान तथा गोपनीय संसूचना तब तक प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह प्रकटन न्याय के हितों और लोक कल्याण के लिए आवश्यक न हो।"

छठे प्रश्न पर प्राप्त टिप्पणियां।

8.6. कार्यपत्रों में पूछा गया छठा और अन्तिम प्रश्न यह था कि क्या विशेषाधिकार का अधित्यजन करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए, और यदि हां, तो किसके द्वारा—पत्रकार, नियोजक या सूचनादाता द्वारा? श्री सहाय ने अपने लेख में यह विचार व्यक्त किया है कि "सूचनादाता की सम्मति के बिना, किसी को भी (अधित्यजन का) अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि उसने (सूचनादाता ने) अपन अधिकार का अधित्यजन कर दिया है तो सम्पादक या प्रकाशक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेगा।[2]"

एक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने अपने उत्तर में यह विचार (व्यक्तिगत विचार) व्यक्त किया है कि विशेषाधिकार पत्रकार द्वारा अधित्यजनीय होना चाहिए[3]।

1. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83-एल० सी० क्रम सं० 17।
2. स्टेट्समैन (7 अप्रैल, 1983) में श्री सहाय का लेख।
3. विधि आयोग फाइल सं० एफ 2(2)/83एल० सी० क्रम सं० 12।

अध्याय 9

सिफारिशें

सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्ति।

9.1. पूर्वगामी अध्यायों में जो सामग्री दी गई है उसके आधार पर अब हम विचाराधीन विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। आरंभ में हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे विचार से, इस विश्वास पर प्राप्त की गई सूचना को कि स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा, विशिष्ट स्थान प्राप्त होना चाहिए जिससे कि समुचित संरक्षण प्रदान करने वाले विशेष उपबन्ध को उचित ठहराया जा सके। कानूनी संशोधनों का जो स्वरूप होना चाहिए उसकी चर्चा हम उन विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में, जिन पर हम विचार कर चुके हैं, आगे करेंगे[1]।

पहली बात तो यह है कि वहां तक प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत रखे जाने वाले व्यक्तियों का संबंध है, हम उसकी परिधि के अन्तर्गत केवल "वृत्तिक पत्रकारों" को नहीं बल्कि अनियमित या अनियत पत्रकार, यहां तक कि "अकेले पैम्फलेटियर" को भी जिसका संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है[2] रखना चाहते हैं। सम्पादकों और ऐसे अन्य वरिष्ठ प्रबन्ध कार्मिकों को जिन्हें वृत्तिक विश्वास में सूचना दी जाती है, या संवाददाता के साथ रहने वाले तकनीकी कार्मिकों जैसे कैमरामैन, को जो विश्वास के आधार पर विवक्षित या अभिव्यक्त रूप से दी गई सूचना को एकत्र करने में सम्मिलित हों, इस संरक्षण से अपवर्जित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सच तो यह है कि हम उसे व्यापक रूप में तैयार करेंगे जिससे कि सभी जनसंचार माध्यम उसके अन्तर्गत आ जाएं। यह बात अगले पैरा से स्पष्ट हो जाएगी (जिसमें हम उन प्रकाशनों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें विधि के प्रस्तावित संशोधन का फायदा पाने का हक होना चाहिए)।

अन्तर्गत रखे जाने वाले प्रकाशन।

9.2. दूसरी बात यह है कि, जहां तक ऐसे प्रकाशनों का संबंध है जिन्हें प्रस्तावित संरक्षण का हक होना चाहिए, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या संरक्षण—

(i) केवल समाचारपत्रों को मिलना चाहिए, या

(ii) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं, दोनों को मिलना चाहिए, या

(iii) रेडियो और दूरदर्शन केन्द्रों को भी मिलना चाहिए, या

(iv) ऐसे व्यापकतम स्वरूप का बनाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत जन संचार के सभी माध्यम आ जाएं।

इस विषय पर काफी विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसके अन्तर्गत जनसंचार के सभी माध्यमों को रखा जाना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 15(2) में ध्यान "समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार" पर केन्द्रित है। ऐसा शायद इसलिए है कि वह अधिनियम मुख्य रूप से प्रेस के संबंध में है। सिद्धांत रूप में हम अन्य माध्यमों को पृथक् आधार पर नहीं रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इस सुधार की शब्द रचना किस प्रकार इतनी व्यापक रखी जाए कि उसके अन्तर्गत सभी माध्यम आ जाएं, इस उद्देश्य की पूर्ति प्रारूपण का विषय है जिसकी चर्चा हम उस समय करेंगे जब हम कानूनी संशोधन के लिए प्रमित सिफारिशों के प्रश्न पर आएंगे[3]।

संरक्षित की जाने वाली सामग्री।

9.3. तीसरा प्रश्न संरक्षित की जाने वाली सामग्री के संबंध में है। हमने इसे एक कठिन मुद्दा पाया है। हम देखते हैं कि प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 15(2) किसी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित या किसी समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार द्वारा प्राप्त या रिपोर्ट किए गए "किसी समाचार या सूचना के स्रोत" के प्रकटन के विरुद्ध ही संरक्षण प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत स्रोत से भिन्न, अप्रकाशित सूचना नहीं आएगी।

---

1. पूर्वगामी अध्याय 7।
2. ब्रैंजबर्ग बनाम हेज (1972) 408 यू० एस० 665, 82 एस० सी० 2616, 33 ला० एडि० सैकेंड 626।
3. आगामी पैरा 9.7।
4. पूर्वगामी पैरा 8.6।

अधित्यजन का असंगत होना।

9.6. हम किसी विशेषाधिकार के प्रदान किए जाने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं।[1] इसलिए यह प्रश्न कि क्या विशेषाधिकार के अधित्यजन की अनुज्ञा दी जानी चाहिए, और यदि हां तो किस के द्वारा, सैद्धांतिक मात्र हो जाता है और हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश।

9.7. परिणामस्वरूप हमारी सिफारिश भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपयुक्त स्थान पर (यूं कहिए कि धारा 132क के रूप में) निम्नलिखित स्वरूप का एक उपबन्ध अन्तःस्थापित करने की है :

'132क. कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति से उस सूचना का जो ऐसे प्रकाशन में अन्तर्विष्ट है जिसके लिए वह उत्तरदायी है, स्रोत वहां प्रकट करने की अपेक्षा नहीं करेगा, जहां ऐसी सूचना उसके द्वारा इस अभिव्यक्त करार या विवक्षित विश्वास पर प्राप्त की गई कि स्रोत गुप्त रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा में--

(क) "प्रकाशन" से अभिप्रेत है कि कोई भाषण, लेख, प्रसारण या अन्य संचार, उसका रूप चाहे कुछ भी हो, जो जनसाधारण को या जनता के किसी वर्ग को सम्बोधित है,

(ख) "स्रोत" से वह व्यक्ति जिससे या वह साधन जिसके माध्यम से सूचना प्राप्त की गई थी, अभिप्रेत है।'

दो प्रक्रिया संहिताओं में साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा 132क के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील का उपबन्ध करने की सिफारिश।

9.8. इस विषय पर न्यायालय आदेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा 132क[2] के अधीन प्रकटन का निदेश देने वाले या ऐसा निदेश देने से इंकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील का उपबन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपयुक्त स्थान पर अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए।

1. पूर्वगामी पैरा 9.5।
2. पूर्वगामी पैरा 9.7।

(के० के० मैथ्यू)
अध्यक्ष — ह०।

(नसीरुल्लाह बेग)
सदस्य — ह०।

(जे० पी० चतुर्वेदी)
सदस्य — ह०।

(पी० एम० बक्शी)
अंशकालिक सदस्य — ह०।

(वेपा पी० सारथी)
अंशकालिक सदस्य — ह०।

(ए० के० श्रीनिवासमूर्ति)
सदस्य सचिव — ह०।

तारीख : 1 सितम्बर, 1983

भा०स०मु०ना—लि० 9—26 एल ए डी (एन डी) 84—29-4-85—250.

"जनसंपर्क माध्यमों द्वारा जानकारी के स्रोतों के प्रकटन पर तिरानवीं रिपोर्ट" का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
मुख पृष्ठ	मध्यशीर्ष	2	के स्त्रोतों	के स्रोतों
प्राक्कथन	पहला पैरा	1	माध्यम द्वारा जानकारी के स्त्रोतों	माध्यमों द्वारा जानकारी के स्रोतों
प्राक्कथन	तीसरा पैरा	3	हूं ।	है ।
1	1.3. तीसरा पैरा	3	बने न्यायोचित हो	न्यायोचित हो
5	3.1 पहला पैरा	1	के मक्ष	के समक्ष
5	3.1. चौथा पैरा	2	अरविन्द घो	अरविन्द घोष
8	4.4. तीसरा पैरा	3	आपके जानकारी	आपको जानकारी
8	पादटिप्पण 1, 5	1	जनेलिस्टस	जर्नेलिस्ट्स
9	4.4. तीसरा पैरा	1	आप वह कैसे	आप यह कैसे
10	4.8	3	बात कसे	बात कैसे
10	4.9	3	न्यायाधिशों	न्यायाधीशों
12	4.17 पार्श्वशीर्ष	1	उपमान	अपमान
13	4.19 पार्श्वशीर्ष	1	प्रतिलिप्यधिकार	प्रतिलिप्यधिकार
13	4.19	3	प्रतिलिप्याधिकार	प्रतिलिप्यधिकार
13	4.20	1	द्वारा स्त्रोतों के	द्वारा स्रोतों के
14	4.24	7	यदि में ने	यदि मै ने
15	5.2	1	उपयुक्त	उपर्युक्त
18	6.1	2	संविधानिक	संवैधानिक
18	6.2 दूसरा पैरा	1	राज्य को सुप्रीम कोर्ट	राज्य के सुप्रीम कोर्ट
19	6.4	1	अन्तर्वस्तू	अन्तर्वस्तु
20	6.9	1	ी मामले में	भी मामले में
20	6.11 पार्श्वशीर्ष	2	निर्णयण	निर्णयन
20	6.2	6	प्रगट	प्रकट
20	पादटिप्पण	1	आगामी ैरा	आगामी पैरा
21	6.13	1	संयक्त	संयुक्त
21	6.14 पार्श्वशीर्ष	1	सोसायट	सोसाइटी
21	6.15(ख)	4	प्रगट	प्रकट
21	6.16	3	यूनाइटड	यूनाइटेड
22	6.19 पार्श्वशीर्ष	1	गवर्नर धारा	गवर्नर द्वारा
22	6.20 पार्श्वशीर्ष	1	रंयुक्त	संयुक्त
22	6.20	4	स्त्रोतों	स्रोतों
23	6.22	1	अन्य स्त्रोत	अन्य स्रोत
25	7.1	4	जान वाले	जाने वाले
25	7.1. दूसरा पैरा	8	परिघि	परिधि
25	7.2	9	सबस	सबसे
25	7.3 पार्श्वशीर्ष	3	चाीहए ।	चाहिए ।
27	7.7 (4)	1	विशषाधिकार	विशेषाधिकार
29	8.1 नवां पैरा	4	परिघि में	परिधि में
29	8.2	3	परिघि के	परिधि के
29	8.2 दूसरा पैरा	1	परिघि के	परिधि के
30	8.5 पांचवां पैरा	1	"सूचना के स्त्रोतों	"सूचना के स्रोतों
31	8.5 नवां पैरा	3	विशेषित	वि:शेषित
31	8.5 नवां पैरा	4	का स्त्रोत	का स्रोत
31	8.6 नवां पैरा	4	अपन	अपने
32	9.1 दूसरा पैरा	2	परिघि	परिधि
32	9.3	4	स्त्रोत	स्रोत
32	9.5 तीसरा पैरा	3	दिए जाया ।	दिए जाएं ।